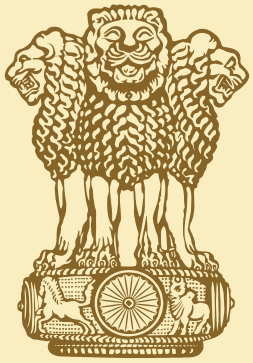

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

विषय सूची

अध्याय -1

1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बारे में 1

1 क्रमिक विकास और पृष्ठभूमि 1

2 अधिदेश और कार्यक्षेत्र 1

3 एनएफआरए के कार्य और अधिकार 2

4 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का चार्टर 3

5 बुनियादी मूल्य 3

6 संगठनात्मक संरचना 4

अध्याय-II

2. प्रमुख परिणाम और उपलब्धियाँ 5

1 लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एक्यूआर) 5

2 वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एफआरक्यूआर) 6

3 अनुशासनिक आदेश 7

4 लेखापरीक्षा फर्म-व्यापी गुणवत्ता निरीक्षण 10

5 परिपत्र और परामर्श 10

6 अधिसूचना के लिए अनुशंसित व्यावसायिक मानक 11

अध्याय - III

3. प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद 14

1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की भागीदारी 14

2 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का जीवन बीमा कम्पनियों और आईआरडीएआई के साथ सहयोग विस्तार 14

3 आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम 15

4 सीएफओ, स्वतंत्र निदेशकों, पेशेवरों के साथ संवाद 18

5 भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा अकादमी (आईसीएलएसए), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संपर्क संवाद 21

6 हितधारक परामर्श पत्र 21

7 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी 22

अध्याय - IV

4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था 23

1 डेटा प्रबंधन 23

2 वार्षिक विवरणी-एनएफआरए 2 दाखिल किए जाने की निगरानी 23

3 डेटा सुरक्षा 24

4 प्रचालन प्रबंधन के लिए क्लाउड-आधारित आईटी टूल 24

अध्याय - V

5. संसाधन प्रबंधन 25

1 वित्त एवं बजट संबंधी सूचना 25

2 मानव संसाधन प्रबंधन 27

तालिकाओं की सूची

पृष्ठ संख्या

तालिका 1	भारतीय लेखांकन मानक संशोधन प्रस्ताव	12
तालिका 2	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण	25
तालिका 3	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यय का विवरण	25
तालिका 4	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आय एवं व्यय का विवरण	26

चित्रों की सूची

पृष्ठ संख्या

चित्र 1	संगठनात्मक संरचना	ix
चित्र 2	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बुनियादी मूल्य	4

तस्वीरों की सूची

पृष्ठ संख्या

तस्वीर 1	सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का प्रस्तुतीकरण	14
तस्वीर 2	बीमा उद्योग के साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का सहयोग विस्तार	15
तस्वीर 3	अध्यक्ष, एनएफआरए माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का स्वागत करते हुए	15
तस्वीर 4	अध्यक्ष, एनएफआरए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाषण देते हुए	15
तस्वीर 5	राव इन्द्रजीत सिंह (माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री) आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाषण देते हुए	16
तस्वीर 6	राव इन्द्रजीत सिंह (माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री), श्री राजेश वर्मा, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ भारत में लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों के संबंध में राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता	16
तस्वीर 7	सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के साथ भारत में लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों के संबंध में राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता	16
तस्वीर 8	डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी, सदस्य, एनएफआरए, डॉ. आशीष भट्टाचार्य, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, शिव नादर विश्वविद्यालय और सीए पी आर रमेश, पूर्व अध्यक्ष, डेलॉइट, भारत	17
तस्वीर 9	सुश्री स्मिता झिंगरन, सदस्य, एनएफआरए, सीए विजय कुमार एमपी, सीएफओ सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डॉ. अविनाश चंदर, पूर्व तकनीकी निदेशक, आईसीएआई	18
तस्वीर 10	इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्ष, एनएफआरए	18
तस्वीर 11	सीआईआई सम्मेलन में वित्त पेशेवरों के साथ डॉ. अजय भूषण पाण्डेय (अध्यक्ष, एनएफआरए) का संवाद सत्र	19
तस्वीर 12	अध्यक्ष, एनएफआर एनुअल डायरेक्टर्स कॉनक्लेव में भाग लेते हुए	19
तस्वीर 13	अध्यक्ष, एनएफआरए मुंबई, भारत में डब्ल्यूसीओए 2022 में	20
तस्वीर 14	अध्यक्ष, एनएफआरए फाइनेंसियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क -बिल्डिंग ट्रस्ट सम्मेलन में	21
तस्वीर 15	सीधी भर्ती के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	28
तस्वीर 16	29.08.2022 को प्रोफेसर आर. नारायणस्वामी द्वारा व्याख्यान	28
तस्वीर 17	24.08.2022 को आयोजित सीडीएम प्रशिक्षण	29
तस्वीर 18	एनएफआरए के कर्मचारी 16-08-2022 को स्वच्छता शपथ लेते हुए	30
तस्वीर 19	'संसदीय राजभाषा समिति' की प्रथम उपसमिति की निरीक्षण बैठक	31
तस्वीर 20	हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह	31

अध्यक्ष की डेस्क से
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

मुझे, वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मुझे उम्मीद है कि यह कार्य-निष्पादन रिपोर्ट, वर्ष के दौरान कामकाज और कार्यकलापों का समग्र दृष्टिकोण रखने में हमारे हितधारकों के लिए उपयोगी साबित होगी।

कई मायनों में यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा। संसद द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को 2022-23 के पूरक अनुदान में अनुदानग्राही का दर्जा दिया गया और मार्च, 2023 में पहले अनुदान जारी किए गए जिससे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की वित्तीय स्वायत्तता और सुदृढ़ हुई।

हमारे सभी हितधारकों के साथ विभिन्न मंचों पर व्यापक सहभागिता इस वर्ष की विशेषता रही। हम इस सहभागिता और आदान-प्रदान किए गए विचारों का उपयोग राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में करना चाहते हैं। हमारा ध्यान लेखापरीक्षा गुणवत्ता पर केन्द्रित रहा और हमारे सभी कार्यकलाप इसी दिशा में उन्मुख रहे। विभिन्न एजेंसियों और अन्य नियामकों द्वारा कई मामले संदर्भित किए गए, जो देश में ऑडिट गुणवत्ता ढांचे में व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता दर्शाता है, जो पेशे सहित सभी स्तरों पर किए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा फर्मों के लेखापरीक्षा गुणवत्ता निरीक्षणों की शुरुआत करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसमें फर्म-व्यापी लेखापरीक्षा गुणवत्ता और व्यक्तिगत लेखापरीक्षा एंगेजमेंट्स, दोनों शामिल किए गए। निरीक्षण दिशानिर्देश हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए वर्ष के दौरान पांच लेखापरीक्षा फर्मों के लेखापरीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण किए गए और हम समझते हैं कि हमारे हितधारकों के लिए इस कबायद के कई निष्कर्ष निकले हैं। एक निरीक्षण चक्र में निरीक्षण, टिप्पणियाँ जारी करना, लेखापरीक्षा फर्मों की प्रतिक्रियाएं, प्रतिक्रियाओं पर विचार करना और आगे पत्राचार, यदि कोई हो, मसौदा निरीक्षण रिपोर्ट/ अंतिम टिप्पणियों का मसौदा जारी करना, आवश्यकतानुसार बैठकें/चर्चाएं और अंतिम रिपोर्ट जारी करना शामिल है। यह पूरा चक्र लेखापरीक्षा फर्मों को सुधार उपाय शुरू करने के विभिन्न अवसर प्रदान करता है जैसा कि इस चक्र के लिए भी देखा गया था।

हमने बेहतर प्रशासन के उद्देश्य से लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए एक परामर्श पत्र और प्रारूप जारी किया। मैं अपने सभी हितधारकों को उनकी प्रभावी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देता हूं। इनमें से प्रत्येक टिप्पणी बहुमूल्य इनपुट रही है और अपेक्षाओं को अंतिम रूप देने में हमारी मदद करेगी।

हम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में मानव संसाधन बढ़ाने के उपाय करते रहेंगे। वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम अंतर-राष्ट्रीय पद्धतियों से सीखने के लिए नए सिरे से प्रयास किए गए।

मैं, पूर्णकालिक सदस्य डॉ. पी के तिवारी और सुश्री स्मिता झिंगरन को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में विभिन्न जिम्मेदारियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए और अंशकालिक सदस्यों को मानकों के निर्धारण में उनकी रचनात्मक भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूं।

अजय भूषण पांडेय

(डॉ. अजय भूषण प्रसाद पाण्डेय)

अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

प्राधिकरण की संरचना

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य सम्मिलित होते हैं। कार्यकारी निकाय में अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य सम्मिलित होते हैं।

डॉ. अजय भूषण प्रसाद पाण्डेय
अध्यक्ष, एनएफआरए
1 अप्रैल, 2022 को पदभार ग्रहण किया।

डॉ. पी के तिवारी
पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआरए
28 मार्च, 2022 को पदभार ग्रहण किया।

सुश्री स्मिता झिंगरन
पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआरए
19 अप्रैल, 2022 को पदभार ग्रहण किया।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य थे:

1. श्री इंदर दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
2. डॉ. कविता प्रसाद, महानिदेशक (वाणिज्य-I), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
3. सुश्री सुधा बालाकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी – भारतीय रिजर्व बैंक
4. श्री एस वी मुरली धर राव, कार्यकारी निदेशक- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
5. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)
6. अध्यक्ष, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)
7. अध्यक्ष, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)
8. सीए अमरजीत चौपड़ा, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, मै. जीएसए एसोसिएट्स, महरौली, नई दिल्ली
9. सीए अनिल शर्मा, भागीदार (मै. ए शर्मा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स), नई दिल्ली

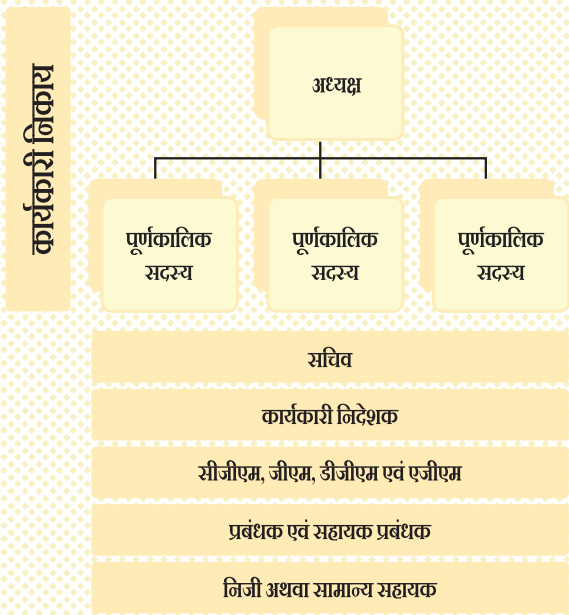

चित्र - 1: संगठनात्मक संरचना

अध्याय I- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बारे में

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत 1 अक्तूबर, 2018 को अधिसूचित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के लेखांकन और लेखापरीक्षा मानक स्थापित करके कंपनियों और कारपोरेट निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए और लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए कंपनियों और कारपोरेट निकायों के निवेशकों, लेनदारों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के सार्वजनिक हित और अन्य हितों की रक्षा करना है।

राजपत्र अधिसूचना पढ़ने के लिए स्कैन करें

1. क्रमिक विकास और पृष्ठभूमि

विभिन्न मंचों पर यह अनुभव किया गया कि 1949 के चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के तहत प्रदान की गई विद्यमान नियामक प्रणाली पेशे के स्व-नियमन से उत्पन्न चुनौतियों के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशेवरों में अपेक्षित अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने में असमर्थ रही है। वित्त-कंपनी विधेयक 2009 से संबंधित स्थायी समिति ने लेखापरीक्षकों की भूमिका पर चर्चा करते समय एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामक की स्थापना की आवश्यकता पर भी चर्चा की। इसके अलावा, कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट, 2016 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना से पहले इस पेशे पर असंतोषजनक निगरानी का उल्लेख किया गया है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस. सुकुमार बनाम सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में 23 फरवरी, 2018 के अपने फैसले में कहा कि भारत संघ को अमेरिका के सर्बनेस-ऑक्सले अधिनियम, 2002 और डोड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2010 की तर्ज पर लेखापरीक्षकों के पेशे पर निगरानी रखने के लिए उचित विधान और तंत्र पर विचार करना चाहिए।

इसलिए, स्व-नियामक संगठनों से एक स्वतंत्र नियामक और निगरानी निकाय में नियामक परिवर्तन की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप, संसद ने विधिवत विचार-विमर्श के पश्चात् और विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना के साथ एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण का सृजन किया।

2. अधिदेश और कार्यक्षेत्र

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का उद्देश्य एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 4 (1) में निहित है जिसमें यह प्रावधान है कि प्राधिकरण उच्च गुणवत्ता के लेखांकन और लेखापरीक्षा मानक स्थापित करते हुए कंपनियों और कारपोरेट निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए और लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए नियम 3 के तहत शासित कंपनियों अथवा कारपोरेट निकायों के निवेशकों, लेनदारों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के सार्वजनिक हित और अन्य हितों की रक्षा करेगा। एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 7, 8 और 9 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के निगरानी, समीक्षा और निरीक्षण कार्यों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न शक्तियां और कार्य निर्धारित करते हैं।

एनएफआरए नियम 2018 पढ़ने के लिए स्कैन करें

एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 3 में उन कंपनियों और कंपनियों की श्रेणी का प्रावधान है जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इस नियम में उल्लेख है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पास धारा 132 की उपधारा (2) के तहत लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों की निगरानी करने और उनका अनुपालन कराने, सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करने अथवा ऐसी धारा की उपधारा (4) के तहत निम्नलिखित श्रेणियों की कंपनियों और कारपोरेट

निकायों के लेखापरीक्षकों की जांच करने का अधिकार होगा अर्थात्:-

क. कंपनियां जिनकी प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;

ख. ठीक पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की 31 मार्च तक पांच सौ करोड़ रुपए से अन्यून की प्रदत्त पूंजी या एक हजार करोड़ रुपए से अन्यून के वार्षिक कारोबार या पांच सौ करोड़ रुपए से अन्यून कुल वर्तमान ऋण, डिबेंचर और जमा वाली असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां;

ग. बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, बिजली उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनियां, तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनियां अथवा इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (ख), (ग), (घ), (ड.) और (च) के अनुसार किसी अधिनियम द्वारा निगमित कारपोरेट निकाय;

घ. केन्द्र सरकार द्वारा जनहित में प्राधिकरण से की गई सिफारिश पर कोई कारपोरेट निकाय या कंपनी या व्यक्ति या कारपोरेट निकाय की किसी श्रेणी या कंपनियां या एक से अधिक व्यक्ति; और

ड. भारत के बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत कोई कारपोरेट निकाय जो खंड (क) से खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय की अनुषंगी या सहायक कंपनी है, यदि ऐसी अनुषंगी या सहायक कंपनी की आय या निवल मूल्य खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय, जो भी हो, की समेकित आय या समेकित निवल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है।

3. एनएफआरए के कार्य और अधिकार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (2) के अनुसार,

क. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यथास्थिति कंपनियों या कंपनियों की श्रेणियों या उनके लेखापरीक्षकों द्वारा अपनाए जाने के लिए लेखांकन और लेखापरीक्षा नीतियों और मानकों के निरूपण एवं निर्धारण के संबंध में केन्द्र सरकार को सिफारिशें करेगा।

ख. यथा-निर्धारित ऐसी विधि से लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और कार्यान्वयन करेगा;

ग. ऐसे मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करेगा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार और ऐसे यथा-निर्धारित अन्य संबंधित मामलों में अपेक्षित उपाय सुझाएगा; और

घ. खंड (क), (ख) और (ग) से संबंधित ऐसे अन्य कार्य करेगा जो निर्धारित किए जाएं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (4) के अनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पास स्वेच्छा से अथवा केन्द्र सरकार के निर्देश पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट के किसी सदस्य या फर्म द्वारा किए गए पेशेवर या कदाचार के अन्य मामलों की जांच करने का अधिकार होगा। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 132(4) में निम्नलिखित उल्लेख हैं:

क) बशर्ते कोई अन्य संस्थान या निकाय कदाचार के ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा जहां राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने इस धारा के तहत जांच शुरू की है;

ख) निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही अधिकार हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल अदालत में निहित हैं:

i. बही खातों और अन्य दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति;

ii. व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ के साथ उनसे पूछताछ करना;

iii. किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति की किसी बही, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण।

iv. गवाहों से पूछताछ या दस्तावेजों की जांच के आदेश जारी करना।

ग) यदि पेशेवर या अन्य कदाचार सिद्ध हो, तो निम्नलिखित आदेश देने का अधिकार है:-

(अ) जुर्माना लगाना -

I. एक लाख रुपए से अन्यून किंतु व्यक्तियों के मामले में यह प्राप्त शुल्क के पांच गुना तक हो सकता है; और पांच लाख रुपए से अन्यून किंतु फर्मों के मामले में यह प्राप्त शुल्क के दस गुना तक हो सकता है;

(ब) सदस्य या फर्म पर प्रतिबंध लगाना-

I. लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति या किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय के वित्तीय विवरणों या कार्यों और क्रियाकलापों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में कोई लेखापरीक्षा करने के लिए न्यूनतम छह माह की अवधि के लिए अथवा ऐसी अधिक अवधि के लिए जो दस वर्ष से अधिक न हो।

II. धारा 247 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार कोई मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम छह माह की अवधि के लिए अथवा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित अवधि के लिए जो दस वर्ष से अधिक न हो।

4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का चार्टर

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपने लक्ष्य और प्रतिबद्धताएं रेखांकित करते हुए एक चार्टर अपनाया है जिसमें यह उल्लेख है;

क. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का उद्देश्य भारत में सभी कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

ख. कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता की माप और मूल्यांकन अनिवार्यत: कानून और वैधानिक रूप से अधिसूचित लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

ग. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण सभी प्रकार की सार्वजनिक हित कंपनियों (पीआईई) और सभी आकार एवं श्रेणियों की लेखापरीक्षा फर्मों की कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग में निरंतर सुधार के प्रयास करेगा।

घ. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का लक्ष्य अखंडता, उद्योग और क्षमता के लिए एक विख्यात संगठन बनना है।

ड. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लिए काम करने वाले व्यक्ति अटल सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे, उनके पास कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बदलने की दूरदृष्टि होगी और अपने काम के प्रति उच्च स्तर की पहल और अथक प्रवृत्ति का प्रदर्शन करेंगे।

5. बुनियादी मूल्य

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

क. वस्तुनिष्ठता - सदस्यों अथवा कर्मचारियों की ओर से कोई व्यक्तिपरक कार्रवाई नहीं, किसी मामले में किसी पूर्वकल्पित निष्कर्ष या पूर्व-निर्णय के बगैर सभी तथ्यों/विचारों/राय के प्रति खुलापन।

ख. सत्यनिष्ठा - सभी मामलों/व्यक्तियों/फर्मों में, बहुमानकों का अभाव, सभी सदृश/समान व्यक्तियों/फर्मों के साथ समान व्यवहार।

ग. निष्पक्षता - भय या पक्षपात के बगैर अपने कार्यों का निर्वहन।

घ. स्वतंत्रता - सभी हितधारकों से समान दूरी।

ड. सद्व्यवहार – विशेष रूप से भविष्य में लाभ के लिए अनुचित बोझ नहीं डालना।

च. पारदर्शिता- निष्पक्ष और खुली प्रक्रियाएँ।

चित्र 2: राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बुनियादी मूल्य

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की कार्यप्रणाली व्यापार में आसानी और इसकी गति को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति सदैव सचेत रहेगी और हमेशा समग्र सार्वजनिक हित से निर्देशित होगी, इसके सभी कार्य पूरी तरह से इसके विधिक आदेश के अंतर्गत होंगे।

6. संगठनात्मक संरचना

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका और सेवा के अन्य नियम और शर्तें) नियम, 2018 में प्रावधान है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी, अर्थात्: -

क. अध्यक्ष

ख. तीन पूर्णकालिक सदस्य; और

ग. नौ अंशकालिक सदस्य।

सभी निगरानी, निरीक्षण, निर्णय और प्रवर्तन कार्य, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (3ख) के अनुसार कार्यकारी निकाय द्वारा किए जाते हैं। तथापि, कंपनियों या कंपनियों की श्रेणियों अथवा उनके लेखापरीक्षकों द्वारा अपनाए जाने के लिए लेखांकन और लेखापरीक्षा नीतियों और मानकों के निरूपण एवं निर्धारण के संबंध में केन्द्र सरकार को सिफारिशें करने की जिम्मेदारी पूर्ण प्राधिकरण को सौंपी गई है जिसमें कार्यकारी निकाय और अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

अध्याय II - प्रमुख परिणाम और उपलब्धियां

एनएफआरए नियम 2018 यह निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली कंपनियों और कारपोरेट निकायों के निवेशकों, लेनदारों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के सार्वजनिक हित और अन्य हितों की रक्षा कैसे करेगा। एनएफआरए नियम 2018 प्राधिकरण को लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और उन्हें लागू करने, लेखापरीक्षा सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने और अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार देते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132(4) भी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को स्वेच्छा से अथवा केन्द्र सरकार के निर्देश पर कारपोरेट निकाय की ऐसी यथानिर्धारित श्रेणी अथवा व्यक्तियों की, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के तहत पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट के किसी सदस्य या फर्म द्वारा किए गए पेशेवर या कदाचार के अन्य मामलों में यथानिर्धारित ऐसी विधि से जांच करने का अधिकार प्रदान करती है।

1. लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एक्यूआर)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, एक बड़ी कंपनी की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की गई:

क) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन: 324982ई(स्लैश)ई300003) द्वारा की गई वैधानिक लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट।

एक्यूआर-आईएल एंड एफएस पढ़ने के लिए स्कैन करें

लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां संक्षेप में इस प्रकार हैं:

i) एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी की प्रारंभिक नियुक्ति और आईएल एंड एफएस लिमिटेड के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी का बने रहना, प्रथम दृष्टया अवैध और निरर्थक था। यह जानकारी होने के बावजूद, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण किसी पूर्वाग्रह के बगैर इस लेखापरीक्षा एंगेजमेंट के उनके कार्यनिष्पादन में लेखापरीक्षा फर्म द्वारा लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए आगे बढ़ा है।

ii) लेखापरीक्षा फर्म ने मैटेरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिम (आरओएमएम) का आकलन करने में, धोखाधड़ी के कारण मैटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए वित्तीय विवरणों की संवेदनशीलता का आकलन नहीं किया, संभावित गंभीर जोखिमों के रूप में राजस्व मान्यता और प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों के उल्लंघन की पहचान और मूल्यांकन नहीं किया और अंतत: लागू इंड एएस और लेखापरीक्षा मानकों का बार-बार उल्लंघन हुआ जैसा कि लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट में उजागर किया गया था। इस प्रकार वित्तीय विवरण गंभीर मैटेरियल मिसस्टेटमेंट बन गए और इसलिए अविश्वसनीय हो गए।

iii) लेखापरीक्षा फर्म ₹12,320 करोड़ के निवेश के उचित मूल्य का समुचित मूल्यांकन करने में विफल रही जिसमें से ₹1,637 करोड़ के निवेश का उन्होंने बिल्कुल भी सत्यापन नहीं किया। लेखापरीक्षा फ़ाइल में इस बात का कोई सबूत नहीं था कि एसआरबीसी ने यह सुनिश्चित किया था कि प्रबंधन ने क्षति के लिए प्रत्येक निवेश का अलग-अलग परीक्षण किया था।

iv) लेखापरीक्षा फर्म यह देखने में विफल रही कि संबंधित पार्टी लेनदेन (आरपीटी) को लेखापरीक्षा समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन था।

v) लेखापरीक्षा फर्म ₹8,124 करोड़ के ऋणों को स्वीकृति देने से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा करने में विफल रही, ऋणों के सदा बने रहने और भुगतान स्थगन के संभावित मामलों की अनदेखी की।

vi) लेखापरीक्षा फर्म प्रबंधन के दावे का अंदाजा लगाने में विफल रही कि संबंधित पक्षकार लेनदेन उन्हीं शर्तों पर किए गए थे जो बाजार मूल्य पर लेनदेन के लिए प्रचलित शर्तों जैसी थीं। कंपनी के कुल राजस्व (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में ₹1899 करोड़) का 93% राजस्व संबंधित पक्षकारों से था। तथापि, ये लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 का उल्लंघन करके किए गए थे।

vii) लेखापरीक्षा फर्म का एंगेजमेंट गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा (ईक्यूसीआर) भागीदार उसे ज्ञात मैटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिपोर्ट करने में विफल रहा और उसने एंगेजमेंट टीम के महत्वपूर्ण निर्णयों और उनके निष्कर्षों के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए पर्याप्त जानकारी जुटाने के लिए उचित परिश्रम नहीं किया।

viii) लेखापरीक्षा फर्म ने टीसीडब्ल्यूजी (जो शासन-विधि के लिए जिम्मेदार थे) में शामिल व्यक्तियों का निर्धारण नहीं किया। इसके अलावा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा फर्म और उसकी नेटवर्क फर्मों के बीच रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में टीसीडब्ल्यूजी का कोई पत्राचार नहीं मिला।

2. वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एफआरक्यूआर)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दो वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

क) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एफआरक्यूआर)

पीएसपी लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध कंपनी है और एक बहु-विषयक निर्माण कंपनी है जो भारत में औद्योगिक, संस्थागत, सरकारी, सरकारी आवासीय और आवासीय परियोजनाओं में अनेक निर्माण और संबद्ध सेवाएं प्रदान करती है।

एफआरक्यूआर-पीएसपी पढ़ने के लिए स्कैन करें

प्रमुख टिप्पणियाँ:

i. व्यापार प्राप्य (जो कुल परिसंपत्ति का 23.35% होने के नाते एक महत्वपूर्ण मद थी) के संबंध में कंपनी की प्रारंभिक माप नीति का प्रकटन इंड एएस 109, वित्तीय साधनों के अनुसार नहीं था।

ii. कंपनी ने संविदा परिसंपत्तियों और बैंकों में जमा एवं अन्य जमा जो कुल परिसंपत्तियों का क्रमशः 19% और 22.95% था, के संबंध में इंड एएस 109 की अपेक्षानुसार संभावित क्रेडिट घाटा (ईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके इंपेयरमेंट अलाउंस नहीं दिया।

iii. कंपनी द्वारा अपने वित्तीय साधनों के क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के संबंध में किया गया खुलासा इंड एएस 107 के पैरा 35एम और पैरा 35एन की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं था क्योंकि इसमें व्यापार प्राप्य के लिए इंपेयरमेंट लॉस अलाउंस की गणना हेतु प्रयुक्त प्रावधान मैट्रिक्स और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम ग्रेड की जानकारी नहीं दी गई थी।

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षानुसार, वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्षों के लिए ऋण के नियमों और शर्तों का पूरा विवरण नहीं दिया गया था।

v. इंड एएस 115 के संबंध में कंपनी के खुलासे पर्याप्त और स्पष्ट नहीं थे। इस मानक के लिए कंपनी को महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों (उदाहरण के लिए 30 से 90 दिन आदि) और एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक की मौजूदगी के निर्धारण के आधार का खुलासा करना अपेक्षित होता है।

vi. कंपनी ने इंड एएस 115 के पैरा 114 और पैरा बी87-बी89 की प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन नहीं किया जिसके लिए कंपनी को राजस्व को अलग-अलग करना होता है।

vii. कंपनी ने इंड एएस 107 के अनुसार वित्तीय साधनों के उचित मूल्य के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया था।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एफआरक्यूआर) में इंगित कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है।

ख) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एफआरक्यूआर)

एफआरक्यूआर -आईएसजीईसी पढ़ने के लिए

प्रमुख टिप्पणियाँ:

i) कंपनी द्वारा कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों अर्थात् व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए इंपेयरमेंट लॉस अलाउंस (प्रावधान) से संबंधित इंड एएस 109 वित्तीय साधनों के प्रावधानों को लागू करने में कमियां देखी गईं।

ii) कंपनी ने 'अनबिल्ड रेवेन्यू' (अन्य चालू परिसंपत्ति के तहत) पर इंपेयरमेंट लॉस अलाउंस का मूल्यांकन नहीं किया, जबकि यह एक संविदा परिसंपत्ति थी जिसके लिए कंपनी को इंड एएस 109 की अपेक्षानुसार इंपेयरमेंट लॉस का मूल्यांकन करना था।

iii) कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के संबंध में इंड एएस 19 के पैरा 135 के अनुसार कर्मचारी लाभ-पेंशन के लिए अपेक्षित प्रकटीकरण नहीं किया।

iv) कंपनी ने अपनी तीन सहायक कंपनियों को बैंकों द्वारा दी गई ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बैंकों को कारपोरेट गारंटी दी थी। इन कारपोरेट गारंटियों की गणना इंड एएस 109 के पैरा 4.2.1 के अनुसार वित्तीय गारंटी के रूप में की जानी चाहिए थी।

v) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के माध्यम से एक और विदेशी कंपनी का अधिग्रहण किया किंतु इंड एएस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन की अपेक्षानुसार कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में इस लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया।

vi) आईएसजीईसी ने अपनी दो विदेशी सहायक कंपनियों को ऋण दिया लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार अपनी बोर्ड रिपोर्ट में अपनी विदेशी सहायक कंपनियों को ऋण देने के उद्देश्य का खुलासा नहीं किया।

vii) इंड एएस 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की अपेक्षानुसार, 'महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों' (उदाहरण के लिए जब भुगतान देय हो) के बारे में कुछ जानकारी कंपनी के वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट नहीं की गई थी। इसके अलावा, कंपनी द्वारा 'रिटर्न, रिफंड के दायित्वों' और ऐसे अन्य दायित्वों के बारे में खुलासा नहीं किया गया था। इंड एएस 115 के अनुसार यह खुलासा अनिवार्य है।

viii) कंपनी को इंड एएस 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अनुसार, राजस्व की पहचान करने के लिए प्रयुक्त अपनी विधि और वह विधि वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण का विश्वसनीय चित्रण क्यों प्रदान करती है, का खुलासा करना होता है। जहां तक स्पष्टीकरण का सवाल है कि प्रयुक्त विधि वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण का एक विश्वसनीय चित्रण क्यों प्रदान करती है, कंपनी का खुलासा उपर्युक्त अपेक्षा से कम था।

ix) कंपनी ने एक सरकारी योजना के तहत ऋण लिया जिसमें ब्याज का एक हिस्सा ब्याज अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इंड एएस 20 सरकारी अनुदान के लिए कुछ खुलासे विशेष रूप से अपेक्षित होते हैं लेकिन आईएसजीईसी ने इन खुलासों का पालन नहीं किया।

3. अनुशासनिक आदेश

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने धारा 132 (4) के तहत प्राप्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुशासनिक आदेश पारित किए। मार्च 2023 के अंत तक, कुल 74 अनुशासनिक मामले अनुशासनिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर थे।

क) डीएचएफएल शाखा लेखापरीक्षा के मामले में सीए अयना टमटन और सीए आकाश गोयल के विरुद्ध जारी आदेश।

सीए अयना टमटन का आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

एनएसई और बीएसई दोनों में सूचीबद्ध और शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से संचालनरत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डीएचएफएल कथित तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त थी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया और वित्त वर्ष 2017-18 के लिए डीएचएफएल की वैधानिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा की। लेखापरीक्षा, मुंबई स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, चतुर्वेदी एंड शाह (सीएएस) द्वारा की गई थी। समीक्षा के दौरान, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने यह भी देखा कि अनेक एंगेजमेंट पार्टनर्स (ईपी) या शाखा लेखापरीक्षकों ने लगभग 250 शाखाओं के लिए "स्वतंत्र शाखा लेखापरीक्षक रिपोर्ट" पर हस्ताक्षर किए थे। इन शाखा लेखापरीक्षकों ने (क) वैध अनुमोदन के बगैर नियुक्ति को स्वीकार करके कंपनी अधिनियम, 2013 और चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, दोनों का उल्लंघन किया था और (ख) शाखा लेखापरीक्षा करते समय लेखापरीक्षा मानकों का भी उल्लंघन किया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132(4)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित वर्ष 2017-18 के लिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शाखाओं की लेखापरीक्षा में अनियमितताओं के लिए सीए अयना टमटन और सीए आकाश गोयल के संबंध में वर्ष के दौरान दो दंड आदेश दिए गए। इस आदेश के तहत दोनों पर 1 – 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति पर एक-एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। निष्कर्षों में अवैध लेखापरीक्षा एंगेजमेंट की स्वीकृति के संबंध में पेशेवर कदाचार, खुद को "शाखा वैधानिक लेखापरीक्षक" के रूप में पेश करना और चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, लेखापरीक्षा मानक (एसए) और आईसीएआई आचार संहिता की अवहेलना करके "स्वतंत्र शाखा लेखापरीक्षक रिपोर्ट" जारी करना शामिल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर लेखापरीक्षा करने में लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में विफलता के भी आरोप लगाए गए थे।

ख) प्रभु स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीएसआईएल) के मामले में सीए गुलशन जगदीश झाम के विरुद्ध जारी आदेश।

सीए गुलशन झाम का आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

पीएसआईएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है। भारत में, सूचीबद्ध कंपनियों को वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करते समय भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का पालन करना होता है। हालाँकि, पीएसआईएल ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाए गए प्रयोज्य लेखांकन फ्रेमवर्क के मूलभूत पहलू के संबंध में निदेशक की रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं की टिप्पणियों में विरोधाभासी खुलासे किए हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में कुछ प्रमुख टिप्पणियाँ इस प्रकार थीं-

- वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय इंड एएस का अनुपालन न किया जाना।
- कंपनी के वित्तीय विवरण में, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे वित्तीय विवरण अधूरा रह गया।
- कंपनी अधिनियम के तहत सभी सहायक कंपनियों और सहयोगियों को शामिल करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है। पीएसआईएल ने एक सहयोगी कंपनी के होने के बावजूद समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया।

पीएसआईएल के वित्तीय विवरण में इन विसंगतियों के बावजूद, सीए ने अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में साफ-सुथरी रिपोर्ट दी थी। लेखापरीक्षक अपने पेशेवर कर्तव्य को निभाते समय उचित परिश्रम करने और वित्तीय विवरणों में विसंगतियों की रिपोर्ट करने में विफल रहा।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 और एनएफआरए नियम 2018 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत लेखापरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेखापरीक्षक ने कारण बताओ नोटिस में लगाए गए सभी आरोप स्वीकार कर लिए और यह निवेदन किया कि उसे इंड एएस अपेक्षाओं की जानकारी नहीं थी।

परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132(4)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीए गुलशन जगदीश झाम पर (i) 100,000 रुपए (एक लाख रुपए मात्र) का जुर्माना लगाए

जाने और (ii) उसकी लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति अथवा किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय के कार्यों अथवा क्रियाकलापों के वित्तीय विवरणों या आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में कोई लेखापरीक्षा करने पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया।

ग) ट्रिलॉजिक डिजिटल मीडिया लिमिटेड (टीडीएमएल) के मामले में सीए राजीव बंगाली के विरुद्ध आदेश।

प्रमुख टिप्पणियां और मुख्य त्रुटियां:

लेखापरीक्षक ने इस तथ्य के बावजूद कि टीडीएमएल के वित्तीय विवरणों में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं था, नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की गलत रिपोर्ट दी। लेखापरीक्षक ने मनगढ़ंत नकदी प्रवाह विवरण के साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को गुमराह करने का भी प्रयास किया था।

सीए राजीव बंगाली का आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

i) लेखापरीक्षक ने वित्तीय विवरणों के संबंध में अनपेक्षित लेखापरीक्षा राय जारी करने में घोर लापरवाही बरती जो कंपनी की हालत की सही और निष्पक्ष स्थिति नहीं दिखा रहा था।

ii) टीडीएमएल ने 24.06 करोड़ रुपए के अन्य विविध व्यय को स्वीकृति दी थी और 14.87 करोड़ रुपए के विविध शेष को बट्टे खाते में डाल दिया था, जो 71.43 करोड़ रुपए के कुल व्यय का 54.50% था। पिछले वर्ष के 1.28 करोड़ रुपए के इसी प्रकार के व्यय की तुलना में ऐसे व्यय 3041% अधिक थे। लेखापरीक्षक ऐसे असाधारण/असामान्य लेनदेन होने के बावजूद धोखाधड़ी के कारण मैटेरियल मिसस्टेटमेंट की संभावना के प्रति उचित परिश्रम करने और पेशेवर संदेह बनाए रखने में विफल रहा।

iii) परिचालन राजस्व के 51 करोड़ रुपए से घटकर 17.06 करोड़ रुपए रह जाने, टीडीएमएल को 54.37 करोड़ रुपए के घाटे जिससे निवल मूल्य के 58.89 करोड़ रुपए से घटकर 4.52 करोड़ रुपए हो जाने और मालसूची (इन्वेंटरी) के 12.71 करोड़ रुपए से घटकर 'शून्य' हो जाने आदि जैसे प्रतिकूल संकेत होने के बावजूद लेखापरीक्षक ने प्रबंधन की 'गोइंग कंसर्न' की धारणा के औचित्य का मूल्यांकन करने में लापरवाही बरती।

iv) टीडीएमएल ने कर योग्य पर्याप्त भावी आय जिससे आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) की भरपाई की जा सकती है, की किसी निश्चितता के बगैर 11.96 करोड़ रुपए की डीटीए को स्वीकृति दी। लेखापरीक्षक डीटीए की अनुचित स्वीकृति की सूचना देने में विफल रहा।

v) लेखापरीक्षक ने अनेक लेखापरीक्षा मानकों का उल्लंघन किया था, तदनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी की लेखापरीक्षा असावधानी और लापरवाही से की गई थी।

vi) लेखापरीक्षक छह लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

vii) टीडीएमएल ने निर्दिष्ट बैंक नोटों में लेनदेन के ब्यौरे का खुलासा नहीं किया जो नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद एक अनिवार्य अपेक्षा थी। इसी तरह, टीडीएमएल ने संबंधित पार्टी के विवरण और लेनदेन के बारे में पूरा खुलासा नहीं किया। लेखापरीक्षक ने अधिनियम के अनुसार महत्वपूर्ण प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में घोर लापरवाही बरती।

viii) लेखापरीक्षक ने झूठी रिपोर्ट दी थी कि एक मीडिया और कंटेंट सिंडिकेशन कंपनी, टीडीएमएल आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के तहत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132(4)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीए राजीव बंगाली पर (i) पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने और (ii) उसकी लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति अथवा किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय के कार्यों अथवा क्रियाकलापों के वित्तीय विवरणों या आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में कोई लेखापरीक्षा करने पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया।

घ) विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड के मामले में सीए सोम प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध आदेश

सीए सोम प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध पारित यह आदेश, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एक सूचीबद्ध कंपनी विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करते समय भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुपालन में उनकी विफलता के संबंध में था। मुख्य गलती यह थी कि उन्होंने ऋणदाता बैंकों द्वारा एनपीए के रूप में

घोषित ऋणों पर ब्याज लागत का सत्यापन नहीं किया या रिपोर्ट नहीं की जिसके फलस्वरूप लाभ अत्यधिक बढ़ गया।

उन्होंने प्रबंधन के अभ्यावेदन पत्र पर भी भरोसा किया जिसमें कई विसंगतियां थीं और यह कंपनी की वित्तीय स्थिति की सही और निष्पक्ष तस्वीर नहीं दिखा रहा था।

सीए एस पी अग्रवाल का आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

इस आदेश में लेखापरीक्षा करने में उनकी अन्य खामियों की ओर भी इशारा किया गया जैसे कि लेखापरीक्षा प्रलेखन का अभाव, लेखापरीक्षा प्रलेखन की घटिया गुणवत्ता, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा साक्ष्यों का अभाव और ऋणों के संबंध में बैंकों से बाह्य पुष्टि का अभाव। इन गलतियों से पता चला कि उनमें व्यावसायिकता और उचित तत्परता का अभाव था जो कि व्यावसायिक कदाचार है। उन्होंने कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अनपेक्षित राय दी जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित नहीं थी।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132(4)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीए सोम प्रकाश अग्रवाल पर (i) 300,000 रुपए (तीन लाख रुपए मात्र) का जुर्माना लगाए जाने और (ii) उसकी लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति अथवा किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय के कार्यों अथवा क्रियाकलापों के वित्तीय विवरणों या आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में कोई लेखापरीक्षा करने पर तीन वर्ष का प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, सीए सोम प्रकाश अग्रवाल को आईसीएआई अथवा आईसीएआई से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान अथवा समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से लेखापरीक्षा मानकों और इंड एएस के संबंध में प्रशिक्षण लेने और इस आदेश के प्रभावी होने की तारीख से एक सौ अस्सी (180) दिन के अंदर इस प्राधिकरण को ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करने का परामर्श दिया।

4. लेखापरीक्षा फर्म-व्यापी गुणवत्ता निरीक्षण

चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा फर्म-व्यापी गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जो दुनिया भर में स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों के कामकाज का अभिन्न अंग है। एक निरीक्षण में आम तौर पर लागू लेखापरीक्षा मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण नीति और प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए फर्म-व्यापी गुणवत्ता समीक्षा और/अथवा अलग-अलग लेखापरीक्षा कार्य की परीक्षण-जांच शामिल होती है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण का उद्देश्य लेखापरीक्षा फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के क्षेत्रों और अवसरों की पहचान करना है। फर्म-व्यापी निरीक्षण, पेशेवरों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने और लेखापरीक्षा पेशे में व्यवस्थागत परिवर्तन लाने का भी एक महत्वपूर्ण नियामक साधन है।

निरीक्षणों के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की वेबसाइट पर निरीक्षण दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए थे। यह निर्दिष्ट किया गया था कि निरीक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण नीति की समीक्षा, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की परीक्षण जांच और वर्ष के दौरान निरीक्षण दलों द्वारा यथा-निर्धारित लेखापरीक्षा फर्म/लेखापरीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्यों की परीक्षण जांच शामिल होगी।

दिसंबर, 2022 और जनवरी, 2023 के दौरान पांच बड़ी लेखापरीक्षा फर्मों अर्थात् बी एस आर एंड कंपनी एलएलपी, प्राइस वाटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी, एस आर बी सी एंड कंपनी एलएलपी, वाकर चंडिओक एंड कंपनी एलएलपी और डेलॉइट हस्किन्स एसं सैल्स एलएलपी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का फील्ड वर्क 2022-23 के दौरान पूरा किया गया।

5. परिपत्र और परामर्श

एक स्वतंत्र नियामक के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी क्रमशः कंपनियों और उनके लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखांकन और लेखापरीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करके सार्वजनिक हित और निवेशकों, लेनदारों आदि के हितों की रक्षा करना है। विभिन्न निगरानी और जांच कार्यों के दौरान, ऐसे क्षेत्रों में कानून और मानकों के प्रावधानों को दोहराने के लिए परिपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया जहां कई मामलों में मानकों और/अथवा कानूनों और नियमों का गैर-अनुपालन देखा गया। तदनुसार, ऐसे गैर-अनुपालनों की पुनरावृत्ति को रोकने तथा विभिन्न हितधारकों को परामर्श देने और मार्गदर्शन करने के लिए भारत में वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में व्यवस्थागत सुधार लाने के उद्देश्य से परिपत्र जारी किए जाने शुरू किए गए।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित दो परिपत्र जारी किए गए:

क) कंपनियों द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों का उल्लंघन करते हुए ऋणों पर ब्याज जमा न किए जाने के संबंध में दिनांक 20.10.2022 का परिपत्र।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के जांच और अनुशासनिक क्रियाकलापों के दौरान यह देखा गया कि एक कंपनी ने बैंकों से अपने ऋणों पर ब्याज जमा करना बंद कर दिया था जिसे कथित तौर पर ऋणदाता बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था और कंपनी ऋणदाता बैंकों के साथ एकमुश्त निपटान पर बातचीत करने की प्रक्रिया में थीं और ऋणदाता बैंकों को देय देनदारियों में छूट/रियायत की उम्मीद कर रही थी। हालाँकि, यह लेखांकन आचरण लागू भारतीय लेखांकन मानक अर्थात् इंड एएस 109, वित्तीय साधन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। अन्य कंपनियों द्वारा इसी तरह के गैर-अनुपालन की संभावना को ध्यान में रखते हुए, इस परिपत्र का उद्देश्य वित्तीय देनदारियों की पहचान और माप के लिए प्रमुख हितधारकों अर्थात् तैयारीकर्ताओं और लेखापरीक्षकों का ध्यान इंड एएस 109 के अंतर्निहित सिद्धांतों की ओर आकर्षित करना था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अपेक्षित है कि वित्तीय देनदारियों को बैलेंस शीट से तभी हटाया जाएगा जब वह बराबर हो जाए, अर्थात् केवल तभी जब उधारकर्ता कंपनी को कानूनी प्रक्रिया द्वारा या ऋणदाता द्वारा देनदारी की उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी से कानूनी रूप से मुक्त कर दिया जाए।

20.10.2022 का परिपत्र पढ़ने के लिए स्कैन करें

ख) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व और व्यापार प्राप्य की माप के लिए लेखांकन नीतियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के गैर-अनुपालन के संबंध में दिनांक 29.03.2023 का परिपत्र।

कंपनियों द्वारा प्रकाशित वित्तीय विवरणों में निहित खुलासे और सूचना की आवधिक समीक्षा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का लेखांकन मानकों के अनुपालन पर निगरानी रखने का एक साधन है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण इस आवधिक समीक्षा के माध्यम से, लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के गैर-अनुपालन के कतिपय क्षेत्रों की पहचान करता है जिससे बड़े पैमाने पर कंपनियों और लेखापरीक्षकों को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के मार्गदर्शन अथवा परामर्श की आवश्यकता का संकेत मिल सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने कंपनियों के एक सैम्पल द्वारा प्रकट महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की समीक्षा में दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व और व्यापार प्राप्य प्रारंभिक माप के संबंध में गलत लेखांकन नीतियां देखीं।

29.03.2023 का परिपत्र पढ़ने के लिए स्कैन करें

i) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व: राजस्व की पहचान और माप की लेखांकन नीति को 'लेनदेन मूल्य' पर आधारित माप की सही लेखांकन नीति के बजाय गलती से 'प्राप्त या प्राप्य के निमित्त उचित मूल्य' बताया गया था। प्रकट भ्रामक लेखांकन नीति इंड एएस 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के निर्देशों का अनुपालन नहीं थी।

ii) व्यापार प्राप्य प्रारंभिक माप: व्यापार प्राप्य, इंड एएस 109 की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र में वित्तीय परिसंपत्तियां हैं। उचित मूल्य अथवा लेनदेन की लागत मिलाकर या घटाकर उचित मूल्य जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर लागू है, पर वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक माप के सामान्य सिद्धांतों के अपवाद के तौर पर, महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक युक्त राजस्व से भिन्न व्यापार प्राप्य की प्रारंभिक माप इंड एएस 115 में परिभाषित लेनदेन मूल्य पर करनी होती है। हालांकि, ऐसी कई कंपनियां थीं जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में गलती से कहा था कि व्यापार प्राप्य की प्रारंभिक पहचान (माप) उचित मूल्य पर की जाती है जो इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के प्रतिकूल है।

इस परिपत्र में लागू इंड एएस के तहत अपेक्षित सही लेखांकन नीतियों के उदाहरण भी दिए गए।

6. अधिसूचना के लिए अनुशंसित व्यावसायिक मानक

अधिनियम 2013 की धारा 132 की उपधारा 2(क) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण कंपनियों या कंपनियों की श्रेणी अथवा उनके लेखापरीक्षकों जो भी स्थिति हो, द्वारा अपनाए जाने के लिए लेखांकन और लेखापरीक्षा नीतियों और मानकों के निरूपण और निर्धारण के संबंध में केन्द्र सरकार को सिफारिशें करेगा।

क. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) संशोधन के लिये समीक्षित एवं अनुमोदित प्रस्ताव:

वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने विश्व स्तर पर स्वीकृत उच्च गुणवत्ता के आईएफआरएस मानकों

के अनुरूप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की समीक्षा और सिफारिश करते हुए राष्ट्र को उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से समर्थ बनाने का अपना मिशन जारी रखा। केन्द्र सरकार को अधिसूचना के लिए सिफारिश करने से पहले आईसीएआई को इंड एएस और एसए से संबंधित प्रस्ताव विचार किए जाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को भेजने होते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने संबंधित आईएफआरएस मानकों में संशोधन के अनुसार इंड एएस में संशोधन के लिए दिनांक 18.02.2022 के आईसीएआई के कुल चार (4) प्रस्तावों की समीक्षा की और उन्हें अनुमोदित किया। इन इंड एएस संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए दिनांक 30.05.2022 को प्राधिकरण में बैठक हुई थी। ये संशोधन मुख्य रूप से तीन (3) इंड एएस में संशोधन और कुछ अन्य इंड एएस में परिणामी संशोधनों से संबंधित थे।

तालिका 1

क्र. सं.	इंड एएस का नाम	संशोधन का नाम	आईसीएआई के प्रस्ताव की तारीख	एनएफआरए की बैठक की तारीख	कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश की तारीख	राजपत्र अधिसूचना
1	इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण	संशोधन- लेखांकन नीतियों का प्रकटन	18.02.2022	30.05.2022	08.08.2022	31.03.2023
2	इंड एएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां	संशोधन- लेखांकन अनुमानों की परिभाषा	18.02.2022	30.05.2022	08.08.2022	31.03.2023
3	इंड एएस 12, आयकर	संशोधन- एकल लेनदेन से उत्पन्न परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित आस्थगित कर	18.02.2022	30.05.2022	08.08.2022	31.03.2023
4	इंड एएस 101, इंड एएस 102, इंड एएस 103, इंड एएस 109 और इंड एएस 115 में इंड एएस संपादकीय सुधार	संपादकीय सुधार	18.02.2022	30.05.2022	08.08.2022	31.03.2023

तालिका 1: समीक्षित, अनुमोदित एवं अधिसूचित इंड एएस संशोधन प्रस्ताव

ख) समीक्षाधीन प्रस्ताव

i) बीमा अनुबंध अर्थात् इंड एएस 117, बीमा अनुबंध के संबंध में नए मानक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बीमा अनुबंधों के संबंध में एक नया मानक अर्थात् आईएफआरएस 17, मई 2017 में जारी किया गया था तथा 2019 और 2020 में संशोधित किया गया था। आईएफआरएस 17 बीमा अनुबंधों के लेखांकन और रिपोर्टिंग के दृष्टिकोण और सिद्धांतों का पूरा नवीनीकरण है और बीमा अनुबंधों के वर्तमान लेखांकन और रिपोर्ट करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव प्रस्तुत करता है। आईएफआरएस 17 पहला व्यापक और सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय आईएफआरएस मानक है जो निवेशकों और अन्य व्यक्तियों को बीमाकर्ताओं के जोखिम के खतरे, लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएफआरएस 17, 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है।

भारत में एक सदृश मानक अर्थात् इंड एएस 117, बीमा अनुबंध जारी करने का प्रस्ताव है। यद्यपि, इंड एएस 117 बीमा उद्योग विशिष्ट मानक नहीं है, लेकिन यह बीमा क्षेत्र की कंपनियों, विशेषत: दीर्घकालिक बीमा अनुबंधों में काम करने वाली कंपनियों के लिए काफी प्रासंगिक है। इसलिए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने इस इंड एएस के प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हितधारकों से संपर्क किया।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के विचार और राय मांगी थी क्योंकि इस नए मानक का भारत में बीमा कंपनियों के लेखांकन, रिपोर्टिंग और

परिचालन पहलुओं पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने दिनांक 22.02.2023 को सात प्रमुख जीवन बीमा कंपनियों और आईआरडीएआई से संवाद किया क्योंकि जीवन बीमा क्षेत्र की कई कंपनियों ने इंड एएस 117 के एक्सपोजर ड्राफ्ट पर टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं। इन जीवन बीमा कंपनियों के वित्त और बीमांकक विभागों के अधिकारियों ने इंड एएस 117 के कार्यान्वयन के विभिन्न परिचालन और तकनीकी विषयों पर चर्चा की। वर्ष के आखिर में प्राधिकरण द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय से इंड एस 117 की अधिसूचना के लिए सिफारिश की गई।

ii) लेखापरीक्षा मानक (एसए): जून 2022 में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को आईसीएआई से 35 एसए के ड्राफ्ट समीक्षा के लिए और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अधिसूचना के लिए केन्द्र सरकार को संस्तुति किए जाने के लिए प्राप्त हुए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने ड्राफ्ट एसए की अपनी प्रारंभिक समीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा मानकों को अधिकाधिक समसामयिक बनाने के दृष्टिकोण से मसौदा लेखापरीक्षा मानकों तथा संगत अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा मानकों (आईएसए) अर्थात् एसए 220, एसए 250, एसए 315, एसए 540, एसए 600, और एसक्यूसी 1 के बीच अंतर के संबंध में आईसीएआई के विचार मांगे। परिणामस्वरूप, वर्ष के आखिर में आईसीएआई ने सार्वजनिक परामर्श के लिए एक्सपोज़र ड्राफ्ट जारी किए।

अध्याय III - प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद

लेखापरीक्षक वित्तीय रिपोर्टों में प्रस्तुत जानकारी को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। तैयारकर्ता वित्तीय रिपोर्ट तैयार करते हैं और मुख्यत: उनमें दी गई सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार होते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठक होते हैं और इसलिए इसके उद्देश्य के केन्द्र में होते हैं। शिक्षाविद अपने शिक्षण और शोध में वित्तीय रिपोर्ट का उपयोग करते हैं। लेखांकन और लेखापरीक्षा विनियमों के विकास और उनकी प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन में लेखापरीक्षकों, तैयारकर्ताओं, पाठकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के प्राथमिक हितधारकों में संसद, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, वित्तीय विवरण तैयारकर्ता, लेखापरीक्षक, वित्तीय विवरण के प्रयोक्ता, शिक्षाविद शामिल हैं। अन्य प्रमुख हितधारकों में सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ-साथ लेखांकन और लेखापरीक्षा गुणवत्ता के विषयों में विशिष्ट रुचि रखने वाले एसएफआईओ, सेबी, आरबीआई आदि जैसे संगठन और व्यक्ति तथा मीडिया शामिल हैं।

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की भागीदारी

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने श्री मनोज गोविल द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् जनवरी 2023 में प्राधिकरण में उनका स्वागत किया और उन्हें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र से अवगत कराया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने पूरे वर्ष और समय-समय पर अपने कामकाज के विभिन्न पहलुओं के संबंध में मंत्रालय के साथ प्रभावी संपर्क रखा।

तस्वीर 1: सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का प्रस्तुतीकरण

2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का जीवन बीमा कंपनियों और आईआरडीएआई के साथ सहयोग विस्तार

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने प्रस्तावित इंड एएस 117-बीमा अनुबंध के संबंध में दिनांक 22.02.2023 को अनेक जीवन बीमा कंपनियों और आईआरडीएआई के साथ एक सहयोग विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया। जीवन बीमा कंपनियों के वित्त और बीमांकिक विभागों के अधिकारियों ने प्राधिकरण के कार्यकारी निकाय के साथ गहन विचार विमर्श किया और इंड एएस 117 के कार्यान्वयन के विभिन्न परिचालन और तकनीकी विषयों पर चर्चा की।

तस्वीर 2: बीमा उद्योग के साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का सहयोग विस्तार

3. आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष राष्ट्रव्यापी स्तर पर मानाए जाने के भाग के तौर पर दिनांक 11.06.2022 को एक संगोष्ठी आयोजित की। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का विषय 'प्रभावी स्वतंत्र निरीक्षण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता का वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क' था।

क) उद्घाटन सत्र

माननीय केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री राजेश वर्मा, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि थे।

तस्वीर 3: अध्यक्ष, एनएफआरए माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का स्वागत करते हुए

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. अजय भूषण पाण्डेय ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्ष ने भारत जैसी प्रगतिशील और विकासशील अर्थव्यवस्था में उच्च गुणवत्ता के वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की भूमिका पर बल देते हुए इस उच्च गुणवत्ता फ्रेमवर्क के चार मूलभूत अंगों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र मानक निर्माता और स्वतंत्र निरीक्षण निकाय इन चार मूलभूत अंगों में से दो महत्वपूर्ण अंग हैं।

अध्यक्ष ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 (पैरा 2.7.1) में उल्लिखित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना के लाभों की ओर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया।

तस्वीर 4: अध्यक्ष, एनएफआरए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाषण देते हुए

"कारपोरेट क्षेत्र में लेखांकन घोटालों और धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को लेखापरीक्षा पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया जो कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक है...। **इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि और लेखापरीक्षा पेशे के विकास में सहायता करते हुए व्यापार के अधिकाधिक वैश्वीकरण के समर्थन से विदेशी/ घरेलू निवेश के बढ़ने और आर्थिक विकास में तेजी आने की संभावना है..."**

माननीय केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों के दौरान हमारे देश की उपलब्धियों पर भारत के नागरिकों और दर्शकों को बधाई दी। माननीय मुख्य अतिथि ने कहा कि अब हमारे लिए अगले 25 वर्षों में प्रगति और विकास के लिए एक रोडमैप विकसित करने का उपयुक्त समय है ताकि जब हम आजादी के 100 साल का जश्न मनाएं तो हमारा राष्ट्र अपने गौरवशाली अतीत को फिर से हासिल कर सके। उन्होंने स्थापना के बाद 3 वर्ष की अल्पावधि में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा की गई अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, अमेरिका में अपने वैश्विक सहकर्मी की तरह अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

तस्वीर 5: राव इन्द्रजीत सिंह (माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री) आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाषण देते हुए

श्री राजेश वर्मा, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने विशेष संबोधन में श्रोताओं को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के अधिनियमन के बाद भारत के कारपोरेट कानून में लेखाओं और लेखापरीक्षा के ऐतिहासिक महत्व की याद दिलाई। उन्होंने भारतीय कंपनी कानून में 'विनिर्माण और अन्य कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 1975' में लेखापरीक्षकों के लिए अतिरिक्त रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और 1999 में धारा 211 (3 सी) के तहत लेखांकन मानकों को वैधानिक मान्यता जैसे प्रगतिशील उपायों का भी उल्लेख किया। उन्होंने 21 वीं सदी की शुरुआत के बाद हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए तीन पथ प्रदर्शक सुधारों अर्थात् भारत के पहले स्वतंत्र लेखांकन और लेखापरीक्षा नियामक अर्थात् राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफआईआर), विश्व स्तर पर स्वीकार्य उच्च गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन और भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखापरीक्षा मानकों को वैधानिक मान्यता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने समूह में अद्वितीय है क्योंकि इसके कार्यों में वित्तीय रिपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया अर्थात् लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों की सिफारिश करने से लेकर उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक की भूमिका निभाना तक शामिल है।

ख) राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण

भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने और आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारत सरकार के MyGov पोर्टल के माध्यम से भारत में लेखापरीक्षा और लेखांकन मानकों के संबंध में एक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता आयोजित की जिसे पूरे देश से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कुल 27,299 लोगों ने इसमें भाग लिया। यह प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, भारत में वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के अपने प्राथमिक उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाने की राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की पहल का भी एक हिस्सा थी।

तस्वीर 6: राव इन्द्रजीत सिंह (माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री), श्री राजेश वर्मा, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ पुरस्कार विजेता

तस्वीर 7: सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के साथ पुरस्कार विजेता

आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित कार्यक्रम के दौरान 11 जून, 2022 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की **भारत में लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों के संबंध में राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता** के विजेताओं (शीर्ष 20 प्रतिभागियों) को प्रतिष्ठित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए।

ग) तकनीकी सत्र

इस खंड में दो कार्यक्रम थे। एक भाग में दो पैनल चर्चाएं शामिल थीं और दूसरे भाग में लेखापरीक्षा गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा के बारे में वैश्विक अनुभव विषय पर सीपीएओबी, जापान के उप निदेशक श्री शुहेई नोरो द्वारा एक विशेष सत्र था।

दो पैनल चर्चाएँ इस प्रकार थीं।

i) स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामक - भारत और वैश्विक परिदृश्य, डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी, सदस्य, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा संचालित और इसमें दो पैनलिस्ट थे - डॉ. आशीष भट्टाचार्य, वित्त, लेखांकन और नियंत्रण विभाग, शिव नादर विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर एवं सदस्य, लेखांकन मानक बोर्ड, आईसीएआई तथा सीए पी आर रमेश, पूर्व अध्यक्ष, डेलॉइट, भारत एवं स्वतंत्र निदेशक। दोनों प्रख्यात अकाउंटेंसी विशेषज्ञ हैं।

इस तकनीकी सत्र का विषय 'स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों के क्षेत्र में समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रगति' था।

तस्वीर 8: डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी, सदस्य, एनएफआरए, डॉ. आशीष भट्टाचार्य, और सीए पी आर रमेश

इस सत्र की शुरुआत विश्व स्तर पर प्रभावी स्वतंत्र लेखापरीक्षा निरीक्षण को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फोरम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स (आईएफआईएआर) द्वारा विकसित 11 मुख्य सिद्धांतों के परिचय के साथ हुई, जिनके फलस्वरूप सदस्यों के सार्वजनिक हित में सेवा करने और लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार करके निवेशक की सुरक्षा बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिली। इसके अलावा, पैनल चर्चा के लिए माहौल तैयार करने के उद्देश्य से दस अंतर्राष्ट्रीय न्यायक्षेत्रों में स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों (आईएआर) के कार्यों और कर्तव्यों की एक उच्च स्तरीय रूपरेखा और कुछ प्रमुख आईएआर द्वारा प्रमुख टिप्पणियों के दस क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण भी प्रदान किया गया।

इस तकनीकी सत्र में, पैनल चर्चा आईएफएआईआर के मूल सिद्धांतों पर आधारित दो व्यापक विषयों अर्थात् भारतीय संरचना के संदर्भ में वैधानिक और संस्थागत अपेक्षाओं और दूसरे आईएफएआईआर मूल सिद्धांतों की परिचालन और कार्यात्मक अपेक्षाओं पर केन्द्रित रही। पैनल चर्चा में निम्नलिखित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हुई:

- स्वतंत्रता मानकों और आचार संहिता की वैधानिक स्थिति
- गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं पर प्रतिबंध, प्रिंसिपल और कंपोनेंट लेखापरीक्षक की जवाबदेही, कार्य गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा, लेखापरीक्षा प्रलेखन (संसाधन बाधा या मानसिक बाधा) के अनुपालन में चुनौतियाँ
- लेखापरीक्षा पेशे की तुलना में नियामक की स्वतंत्रता
- जोखिम-आधारित निरीक्षण व्यवस्था के लिए विनियामक दृष्टिकोण
- लेखापरीक्षा गुणवत्ता में व्यवस्थागत सुधार कैसे लाया जाए
- लेखापरीक्षा रोटेशन, संयुक्त लेखापरीक्षा व्यवस्था के फायदे-नुकसान

ii) वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता बढ़ाना - स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की भूमिका, संचालन सुश्री रिमता झिंगरन, सदस्य, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और लेखांकन मानकों पर महारत रखने वाले दो प्रतिष्ठित पैनलिस्ट सीए. विजय कुमार एमपी, सीएफओ सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पूर्व अध्यक्ष, लेखांकन मानक बोर्ड, आईसीएआई और डॉ. अविनाश चंदर, पूर्व तकनीकी निदेशक, आईसीएआई।

तस्वीर 9: सुश्री रिमता झिंगरन, सदस्य, एनएफआरए, सीए विजय कुमार एमपी, सीएफओ सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डॉ. अविनाश चंदर, पूर्व तकनीकी निदेशक, आईसीएआई।

पैनल 2 चर्चा का विषय था 'वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाना: स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की भूमिका'। चर्चा के ये विषय समकालीन महत्व के थे और निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केन्द्रित थे:

- आईएफआरएस मानकों के साथ इंड एएस की कन्वर्जेंस: पूर्ण कन्वर्जेंस के लिए कार्व-आउट की समीक्षा।
- समेकित वित्तीय विवरण बनाम पृथक वित्तीय विवरण (एसएफएस): एसएफएस के लिए इंड एएस के अनुप्रयोग की चुनौतियां और एसएफएस की अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय कानूनी और वैधानिक फ्रेमवर्क की समीक्षा की आवश्यकता।
- इंड एएस फ्रेमवर्क: क्या यह समसामयिक आर्थिक लेनदेन/कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सर्वसमावेशी है? क्या कुछ मानकों में संशोधन की गुंजाइश है?
- सिद्धांत आधारित बनाम उद्योग विशिष्ट या नियम आधारित मानक। क्या उद्योग-विशिष्ट मानक निर्धारित करने की आवश्यकता है?
- अधिकाधिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन की आवश्यकता।
- अनुपालन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के साधन – किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा; अन्य दृष्टिकोण जैसे विषयगत समीक्षाएँ।

4. सीएफओ, स्वतंत्र निदेशकों, पेशेवरों के साथ संवाद

वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की गुणवत्ता में व्यवस्था-व्यापी सुधार लाने के लिए स्वतंत्र नियामकों और उनके हितधारकों के बीच प्रभावी दो-तरफा संचार और संवाद आवश्यक है। तदनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण हितधारकों द्वारा आयोजित सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज बैठकों जैसे संवाद के सुस्थापित माध्यमों में सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मानता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने व्यापक संवाद किया और अध्यक्ष ने विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की।

क. अमृत काल: भारत की सदी के लिए पूंजी बाजार का रोडमैप, 14 सितंबर, 2022 को फिक्की का 19वां वार्षिक पूंजी बाजार सम्मेलन 2022

ख. भावी कारपोरेट बोर्डों के निर्माण के लिए शीर्ष रुझान, 23 सितंबर, 2022 को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स का एनुअल डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव- 2022

ग. भारत में पेशेवरों से नियामक अपेक्षाएं, 17 नवंबर, 2022 को फोरम ऑफ फर्म्स

घ. पूर्ण सत्र लेखाकार्य व्यवसाय: 19 नवंबर, 2022 को लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस में राष्ट्र निर्माण में भागीदार)

तस्वीर 10: इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्ष, एनएफआरए

ड. 1 दिसंबर, 2022 को वित्त पेशेवरों के साथ गोलमेज सम्मेलन - सीआईआई राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग समिति

च. वित्तीय रिपोर्टिंग एवं गवर्नेंस फ्रेमवर्क - बिल्डिंग ट्रस्ट, 2 दिसंबर, 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ का सम्मेलन

छ. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) - हालिया विकास, उभरते वैश्विक रुझान, चुनौतियां और आगे की राह, 20 जनवरी, 2023 को एसोचैम का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन

ज. 9 फरवरी, 2023 को सीएफओ बोर्ड में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बहाली

इन मंचों पर, अध्यक्ष एनएफआरए ने भारत और विश्व में वित्तीय रिपोर्टिंग इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर बात की और श्रोताओं के साथ संवाद किया।

i) संस्थागत और नियामक संरचना में सुधार

एनएफआरए अध्यक्ष डॉ. अजय भूषण पाण्डेय ने भारत में हालिया **डिजिटल क्रांति** के उद्भव अर्थात् आधार, भारत के 1 अरब से अधिक नागरिकों के लिए बायोमेट्रिक पहचान सुविधा के बारे में बताया, जिसने कई **अन्य सामाजिक-आर्थिक सुधारों और सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के निर्माण** का मार्ग प्रशस्त किया और जो भारत के लिए अद्वितीय है। उन्होंने डिजिटल संरचना से संचालित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे अन्य सुधारों पर प्रकाश डाला जिससे कर संग्रह की अनेक व्यवस्थाएं एक मंच पर आ गईं। प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कुछ अप्रत्याशित सुधार भी देखे गए हैं जैसे कि कारपोरेट कर दर में काफी कमी और फेसलेस मूल्यांकन।

तस्वीर 11: सीआईआई सम्मेलन में वित्त पेशेवरों के साथ डॉ. अजय भूषण पाण्डेय (अध्यक्ष, एनएफआरए) का संवाद सत्र

इसके अतिरिक्त, दिवाला और दिवालियापन संहिता की शुरुआत, कारपोरेट कानून के मामलों के शीघ्र समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण जैसे मंचों की स्थापना और वस्तुत: 2018 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन, जो लेखांकन और लेखापरीक्षा मामलों के लिए भारत का पहला स्वतंत्र नियामक है, के साथ ही देश की **संस्थागत और विनियामक संरचना में अन्य मूलभूत सुधार** भी हुए।

इस तथ्य पर जोर देते हुए कि राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक स्थापित कर दिए गए हैं, अध्यक्ष, एनएफआरए ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को देश की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में निवेशक, लेनदार और जनता का विश्वास और भरोसा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

ii) स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामक की स्थापना की पृष्ठभूमि

20वीं सदी की शुरुआत में, अमेरिका में दो बड़े कारपोरेट घोटाले और लेखापरीक्षा विफलताएं देखी गई अर्थात् 1932 में क्रेउगर और टोल और 1938 में मैकेसन और रॉबिन्स। इन कारपोरेट विफलताओं ने 1933 में अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय कानूनों के अधिनियमन और 1934 में अमेरिकी पूंजी बाजार नियामक, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथापि, नई सहस्राब्दी की शुरुआत में कारपोरेट लेखांकन घोटालों और एनरॉन, आर्थर एंडरसन और वर्ल्डकॉम के पतन जैसी लेखापरीक्षा विफलताओं के विनाशकारी प्रभाव से अमेरिकी पूंजी बाजारों में विश्वास एक बार फिर टूट गया। इन कारपोरेट विफलताओं के कारण अमेरिकी पूंजी बाजार को लगभग 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

तस्वीर 12: अध्यक्ष, एनएफआर निदेशकों के वार्षिक एनुअल डायरेक्टर्स कॉनक्लेव में भाग लेते हुए

का नुकसान हुआ। इसके फलस्वरूप अमेरिकी कांग्रेस ने सर्बनेस ऑक्सले अधिनियम नामक एक अग्रणी कानून बनाया और पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड (पीसीएओबी) का गठन किया।

वर्ष 2002 में अमेरिका में पीसीएओबी का गठन दुनिया भर में लेखांकन पेशे से स्वतंत्र लेखापरीक्षा विनियामक के आगमन का संकेत था। पीसीएओबी की स्थापना के बाद 2004 में जापान में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटिंग ओवरसाइट बोर्ड (सीपीएएओबी), 2004 में सिंगापुर में पब्लिक अकाउंटेंट्स ओवरसाइट कमेटी (पीएओसी), 2005 में यूके में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल (एफआरसी), 2005 में कमेटी ऑफ यूरोपियन ऑडिटिंग ओवरसाइट बॉडीज (सीईएओबी, पूर्व में ईजीओबी) और 2010 में मलेशिया में द ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड (एओबी) का गठन किया गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज भी ऐसी कारपोरेट लेखापरीक्षा विफलताओं से अछूता नहीं है जो दुनिया के अन्य हिस्सों में हुई हैं। 1950 के दशक का हरिदास मुंद्रा घोटाला, 1992 का हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाला, 1990 का पीएसीएल घोटाला, 2000 का केतन पारेख और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक मामला, 2008 का सत्यम मामला, 2013 का एनएसईएल मामला, 2018 का पंजाब नेशनल बैंक-नीरव मोदी प्रकरण, यस बैंक मामला और 2018 के मध्य में बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करने वाली दिग्गज कंपनी आईएल एंड एफएस का अप्रत्याशित पतन कुछ उल्लेखनीय विफलताएं हैं। इसके अलावा, रियल एस्टेट क्षेत्र में कारपोरेट विफलताओं के कई मामले सामने आए हैं।

अध्यक्ष ने ब्रायडन रिव्यू रिपोर्ट में लेखापरीक्षा को "लेखापरीक्षा का उद्देश्य किसी कंपनी, उसके निदेशकों और वित्तीय विवरण सहित उस सूचना जिसकी रिपोर्ट करने की उनकी जिम्मेदारी है, में उचित विश्वास स्थापित करने और उसे बनाए रखने में मदद करना है" के रूप में पुन: परिभाषित करने की सिफारिश की ओर ध्यान आकर्षित किया।

उन्होंने कहा कि यदि यह परिभाषा स्वीकार कर ली जाती है, तो इससे भविष्य में, खासकर संपरीक्षित कंपनी की वित्तीय क्षमता के लिए लाभप्रदत्ता के क्षेत्र में लेखापरीक्षा के स्वरूप और उद्देश्य का विस्तार होगा। इस संबंध में, यह ध्यान रखना उचित होगा कि कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में नवीनतम संशोधनों के तहत प्रबंधन द्वारा कई वित्तीय अनुपातों का प्रकटीकरण अपेक्षित होता है जो कंपनी की लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी करने और 'लेखापरीक्षा जोखिम के नियंत्रण की अवधारणा से व्यावसायिक जोखिम के नियंत्रण की अवधारणा' तक पहुंचने की लेखापरीक्षकों की क्षमता को मजबूत करेगी, जो एक बहुत व्यापक कार्यक्षेत्र है।

अध्यक्ष ने लेखापरीक्षा समितियों के माध्यम से हितधारकों और लेखापरीक्षकों के बीच संवाद के महत्व पर जोर दिया। कंपनी की वित्तीय सूचना की शुद्धता सुनिश्चित करने में लेखापरीक्षा समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें अधिकांश स्वतंत्र निदेशक होते हैं। भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में निजी क्षेत्र और कारपोरेट क्षेत्र की भूमिका पर जोर देते हुए, डॉ. पाण्डेय ने कहा कि कारपोरेट बोर्ड और एनएफआरए के उद्देश्यों में बहुत सारी समानताएं हैं क्योंकि दोनों का उद्देश्य शेयरधारकों के हितों को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करना तथा कुशल कारपोरेट प्रशासन सुनिश्चित करना है।

(iii) अकाउंटेंसी पेशा और मानकों में सुधार

अकाउंटेंट्स की 21वीं विश्व कांग्रेस में अध्यक्ष ने भारत में अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि और विकास में भारतीय अकाउंटेंसी पेशे के योगदान के बारे में बताया। इस संबंध में उन्होंने उनके योगदान के तीन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। अकाउंटेंसी पेशा, भारतीय लेखांकन और लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप बनाने में सहायक रहा है। दूसरे, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कर लेखापरीक्षा से राष्ट्र को करदाताओं के रिकॉर्ड के रखरखाव में अनुशासन स्थापित करने में मदद मिली है। तीसरा, देश में उच्च क्षमता वाले अकाउंटेंट पेशेवरों को देखते हुए भारत दुनिया को वैश्विक वित्तीय

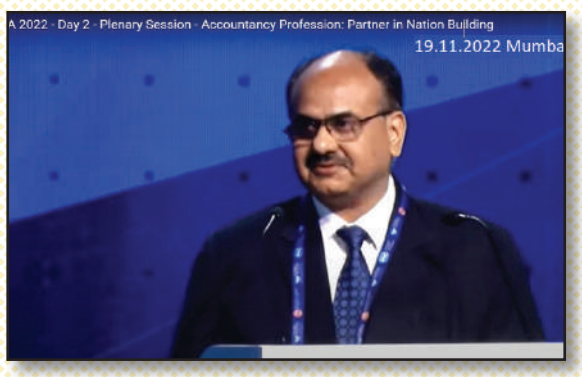

तस्वीर 13: अध्यक्ष, एनएफआरए मुंबई, भारत में डब्ल्यूसीओए 2022 में

रिपोर्टिंग सेवाएं प्रदान करने के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरा है।

2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 में दो बड़े सुधार शामिल किए गए। लेखापरीक्षा मानकों को धारा 143 (10) के तहत अत्यावश्यक वैधानिक मान्यता मिली। जुलाई 2014 में, भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री ने उच्च गुणवत्ता के विश्व स्तर पर स्वीकार्य मानकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के लिए ठोस रूपरेखा की घोषणा की।

तस्वीर 14: अध्यक्ष, एनएफआरए फाइनेंसियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क -बिल्डिंग ट्रस्ट सम्मेलन में

इस पृष्ठभूमि में, भारतीय नीति निर्माताओं ने लेखांकन और लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में एक नियामक जो अकाउंटेंसी पेशे से स्वतंत्र होगा, की स्थापना करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में एक प्रावधान शामिल किया।

5. भारतीय कारपोरेट विधि सेवा अकादमी (आईसीएलएसए), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संवाद

जुलाई 2022 में, भारत सरकार की भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के 10वें बैच के अधिकारियों के लिए एक व्यापक पांच (5) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य भारतीय कारपोरेट विधि सेवा में नए-नए शामिल अधिकारियों को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की भूमिका, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली के बारे में समग्र जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख पहलु शामिल किए गए:

क. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना का वैधानिक अधिदेश, प्रयोजन और उद्देश्य।

ख. 21वीं सदी स्वतंत्र लेखापरीक्षा और लेखांकन नियामकों का युग - वैश्विक परिप्रेक्ष्य: स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफआईएआर), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यू.एस., यू.के., ऑस्ट्रेलिया में समसमूह।

ग. कारपोरेट प्रशासन में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की भूमिका

घ. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों की समीक्षा और संस्तुति की नीति और प्रक्रिया

ड. कंपनियों और लेखापरीक्षकों का राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण डेटाबेस

च. लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए तकनीक और साधन - लेखापरीक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट

छ. लेखांकन मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए तकनीक और साधन- वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता रिपोर्ट

ज. लागू मानकों के अनुपालन के लिए प्रवर्तन और अनुशासनिक तंत्र

6. हितधारक परामर्श पत्र

पीआईई के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली 'वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट' पर सार्वजनिक विमर्श के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

कुछ विदेशी कार्यक्षेत्रों में नियामक और निरीक्षण प्राधिकारी, पीआईई की लेखापरीक्षा करने वाली लेखापरीक्षा फर्मों से वार्षिक आधार पर पारदर्शिता रिपोर्ट के रूप में सूचना तैयार करने और प्रकाशित करने की अपेक्षा करते हैं।

एटीआर संबंधी परामर्श पत्र पढ़ने के लिए स्कैन करें

लेखापरीक्षक के परिचालन क्रियाकलापों, प्रबंधन, प्रशासन और स्वामित्व संरचना, नीतियों और उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा आदि के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करते हुए

वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट का प्रकाशन निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने उक्त वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट की विषय-वस्तु के बारे में हितधारकों के विचार/टिप्पणियां मांगी थी ताकि इसकी विषय-वस्तु को अंतिम रूप देते समय हितधारकों और जनता के सुझावों पर विचार किया जा सके।

7. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी

सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने 16-17 नवंबर 2022 को वार्षिक पीसीएओबी (पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड), यूएसए, में "सर्बनेस ऑक्सले ऐट 20 ईयर्स एंड फ्यूचर ऑफ ऑडिट रेगूलेशन" विषय पर वाशिंगटन डीसी में आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारकों और अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों के प्रतिभागियों ने व्यापक रूप से भाग लिया। दो दिवसीय सम्मेलन में कई व्यावहारिक सत्र शामिल थे जैसे "प्रभावी प्रवर्तन पर एक आदान-प्रदान", "उभरते लेखापरीक्षा निरीक्षण के अवसर और चुनौतियाँ", विभिन्न कार्यक्षेत्रों में निरीक्षण के स्वरूप और पद्धति पर चर्चा। पीसीएओबी ने अपनी मानक निर्धारण कार्यसूची के बारे में अपडेट भी दिया। इस सम्मेलन ने समान संगठनों के साथ बातचीत और सर्वोत्तम पद्धतियों, संगठनात्मक प्रक्रियाओं और पद्धतियों के संबंध में नोट्स के आदान-प्रदान और दुनिया भर के स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों के प्रतिनिधियों और आईएफआईएआर (इंटरनेशनल फोरम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स) के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता का एक शानदार अवसर प्रदान किया।

अध्याय IV - राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था

1. डेटा प्रबंधन

कंपनियों का डेटाबेस

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की भूमिका और जिम्मेदारी सार्वजनिक हित और निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों के कुछ निर्धारित वर्ग, जिन्हें 'सार्वजनिक हित कंपनी (पीआईई)' कहा जाता है, के वित्तीय विवरणों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। उपर्युक्त जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में पीआईई और उनके लेखापरीक्षकों का एक व्यापक मास्टर डेटाबेस संकलित और स्थापित करना एक महत्वपूर्ण पूर्व-अपेक्षा है।

वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने कारपोरेट डेटा प्रबंधन/एमसीए21, स्टॉक एक्सचेंजों और आरबीआई, आईआरडीएआई आदि जैसे अन्य नियामकों जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा प्राप्त/मिलान करके हर वित्त वर्ष की भांति कंपनियों/लेखापरीक्षकों का एक मास्टर डेटाबेस विकसित करने के अपने प्रयास जारी रखे।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने 31.03.2019, 31.03.2020 और 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनियों की सूची प्रकाशित की। इसके अलावा, 31.03.2022 और 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में कंपनियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा था, जो वर्ष के आखिर में पूरा हो गया।

इसके अलावा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपने कार्यक्षेत्र में कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक विवरणी (एनएफआरए-2) जमा करने की निगरानी का अपना कार्य जारी रखा। अक्टूबर-नवंबर 2022 के दौरान, इसने रिपोर्टिंग अवधि 2019-20 के लिए एनएफआरए 2 विवरणी की स्थिति की समीक्षा की और विवरणी जमा न करने वालों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने 07.02.2023 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-21 के लिए एनएफआरए 2 विवरणी दाखिल न करने वालों की सूची प्रकाशित की।

2. वार्षिक विवरणी - एनएफआरए 2 दाखिल किए जाने की निगरानी

एनएफआरए नियम 2018 के नियम 4(2) तहत प्राधिकरण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3 में निर्दिष्ट कंपनियों और कारपोरेट निकायों में नियुक्त लेखापरीक्षकों का विवरण रखना अपेक्षित होता है। इसके अलावा, उपर्युक्त नियमों के नियम 5 के अंतर्गत, नियम 3 के तहत निर्धारित कंपनियों के प्रत्येक लेखापरीक्षक के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म में प्रति वर्ष 30 नवंबर तक वार्षिक विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने 'फॉर्म एनएफआरए - 2' में वार्षिक विवरणी दाखिल करना निर्दिष्ट किया है जिसमें लेखापरीक्षकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण होता हैं।

फॉर्म एनएफआरए 2 में दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण संपरीक्षित कंपनियों के विवरण, लेखापरीक्षा शुल्क और प्राप्त गैर-लेखापरीक्षा शुल्क के ब्यौरे, लेखापरीक्षा फर्म के भागीदारों और कर्मचारियों के विवरण, किसी लेखापरीक्षा फर्म नेटवर्क की संबद्धता या सदस्यता, लेखापरीक्षक के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही के विवरण और लेखापरीक्षा फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपने प्रथम वित्त वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कंपनियों के अपने डेटाबेस के आधार पर, रिपोर्टिंग अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019 (2018-19) के लिए लेखापरीक्षकों द्वारा फॉर्म एनएफआरए- 2 दाखिल करने पर निगरानी रखना शुरू किया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने रिपोर्टिंग अवधि 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए इस अपेक्षा का अनुपालन न करने वाली फर्मों की सूची जारी की।

3. डेटा सुरक्षा

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने सुरक्षा जांच बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जैसे कि:

क) उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित एनआईसी सर्वर पर लेखापरीक्षकों और तैयारकर्ताओं से डेटा का हस्तांतरण। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों से फ़ाइलों के हस्तांतरण के लिए सुरक्षित पोर्ट नंबर 22 पर एसएफटीपी का प्रयोग करता है।

ख) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपनी सभी एप्लिकेशन्स सुरक्षित एसएसएल प्रोटोकॉल पर चलाता रहा है।

4. प्रचालन प्रबंधन के लिए क्लाउड-आधारित आईटी टूल

संगठन के अंदर कागज रहित कामकाज और वर्कफ़्लो के लिए एनएफआरए कोर एप्लीकेशन सिस्टम (एनसीएएस) विकसित किया जा रहा है। एनसीएएस को बड़ी मात्रा में दस्तावेजों के संग्रह, प्रबंधन और संसाधन, गुणवत्ता समीक्षा, जांच-पड़ताल और प्रवर्तन क्रियाकलापों के आद्योपांत प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

समूचा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है और अत्यधिक सुरक्षित वेब इंटरफेस के माध्यम से प्रयोक्ता इस तक पहुंच सकता है। एनसीएएस को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आवश्यक दस्तावेज़ और कार्यस्थल एप्लिकेशन के अंदर ही निर्मित/संगृहीत/सक्षम किए गए हैं।

एनसीएएस को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया जा रहा है।

अध्याय V - संसाधन प्रबंधन

1. वित्त और बजट संबंधी सूचना

संसद ने पूरक बजट 2022-23 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लिए अनुदान अधिकृत किया। बाद में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मार्च, 2023 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को अनुदान जारी किया गया। तदनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने मार्च, 23 के लिए लागू फॉर्म अर्थात् केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के समान प्रारूप में अपने लेखे तैयार किए हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अनुदानग्राही संगठन बनने से पहले, प्राधिकरण की प्राप्तियां और संवितरण कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लेखाओं का हिस्सा थे और जो आगे केन्द्रीय वित्त और विनियोग लेखाओं का हिस्सा होते थे।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का कुल बजट व्यय ₹ 29.61 करोड़ था और आबंटित संशोधित अनुमान ₹ 36.49 करोड़ था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा किया गया कुल व्यय ₹ 35.21 करोड़ था। इस कुल व्यय में से ₹ 7.418 करोड़ की राशि सहायता अनुदान में से खर्च की गई जिससे सहायता अनुदान में ₹ 0.012/- करोड़ की राशि अव्ययित रही।

वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2

₹ करोड़ में

लेखा शीर्ष	वस्तु शीर्ष	राशि
सहायता अनुदान वेतन	3475.00.105.06.00.36	1.67
सहायता अनुदान सामान्य	3475.00.105.06.00.31	5.76
जोड़		**7.43**

तालिका 2: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को प्राप्त सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कुल व्यय का शीर्षवार ब्यौरा तालिका संख्या 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3

₹ करोड़ में

विवरण	व्यय
वेतन	9.19
घरेलू यात्रा व्यय	0.19
विदेश यात्रा व्यय	0.04
व्यावसायिक शुल्क	0.78
किराया दरें एवं कर	18.84
विज्ञापन एवं प्रचार	0.00
आउटसोर्सिंग स्टाफ/मजदूरी	1.31
प्रकाशन	0.01
कार्यालय व्यय	2.64

पुस्तकालय की पुस्तकें	0.00
सदस्यता शुल्क	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	0.05
सूचना प्रौद्योगिकी - कार्यालय व्यय	2.16
जोड़	**35.21**

तालिका 3: वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय दर्शाने वाला विवरण

अनुदानग्राही संगठन बनने के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित तालिका 4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4

` करोड़ में

आय	**राशि**
अनुदान/ सब्सिडी	7.43
शुल्क/ अंशदान	-
निवेश से आय (निधि में अंतरित निर्धारित/दान निधि से निवेश पर आय)	-
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	-
अर्जित ब्याज	0.01
अन्य आय	0.001
जोड़ (क)	**7.44**
व्यय	
स्थापना व्यय	2.77
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	3.27
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	-
ब्याज	0.01
जोड़ (ख)	**6.05**
व्यय के मुकाबले आय अधिक होने पर शेष (क-ख)	1.39
विशेष रिजर्व में अंतरित	-
सामान्य रिजर्व को/ से अंतरित	-
कॉर्पस/ पूंजी निधि में डाला गया अधिशेष (घाटा) शेष	**1.39**

तालिका 4: 3 मार्च से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए आय एवं व्यय विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखे (31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, 03 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए आय एवं व्यय विवरण और आवश्यकतानुसार अन्य विवरण और अनुसूचियां) केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के समान प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में आंतरिक वित्त स्कंध (आईएफए) है और सभी भुगतान एवं प्रस्ताव (जिनके लिए आईएफए की सहमति अपेक्षित होती है) आंतरिक वित्त स्कंध के माध्यम से किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 (3 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023) के लिए प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और प्राधिकरण के कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया। अनुमोदित वार्षिक लेखे प्रमाणन लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) को भेजे गए थे। सी एंड एजी ने दिनांक 01-11-2023 के अपने पत्र संख्या एनएफआरए/2022-23/2023-24/352-54 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2022-23 के लेखे प्रमाणित कर दिए हैं। सी एंड एजी द्वारा यथा प्रमाणित संपरीक्षित वार्षिक लेखे, उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों

सदनों में पेश किए जाने के लिए केन्द्र सरकार को भेज दिए गए हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अनुदानग्राही संगठन बनने से पहले 2022-23 की अवधि के लिए संपरीक्षित लेखाओं की लेखापरीक्षा, गत वर्षों की भांति केंद्रीय वित्त एवं विनियोजन लेखों की अपनी लेखा परीक्षा के भाग के तौर पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

2. मानव संसाधन प्रबंधन

समग्र अधिदेश, कार्य के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रशिक्षण, कैरियर विकास और कार्य-निष्पादन प्रबंधन के क्षेत्र में उचित नीतियों के माध्यम से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं की लगातार पहचान, पोषण और उपयोग किया जा सके।

क) जनशक्ति

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में स्वीकृत पदों की संख्या 69 थी। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 29 थी। भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं।

ख) भर्ती

संगठनात्मक लक्ष्य और परिणामी उपलब्धियां हासिल करने के उद्देश्य से प्रभावी और कुशल योगदान देने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की योग्यता अपेक्षाओं को काफी महत्व दिया जाता है। सिस्टम में योग्य कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है और समय-समय पर कार्यक्रमों की अपेक्षाओं के अनुसार मानव संसाधनों के निरंतर विकास को अधिक महत्व दिया जाता है।

i) सीधी भर्ती: राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने 6 प्रबंधकों और 7 सहायक प्रबंधकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की।

ii) प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध: प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर कार्यकारी निदेशक से लेकर सहायक प्रबधक के पदों के लिए रिक्ति परिपत्र 16 दिसंबर, 2022 को जारी किए गए थे। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुससार भर्ती प्रक्रिया जारी थी। प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव, व्यैक्तिक सहायक (ब्रेड I, II और III) के पदों के लिए रिक्ति परिपत्र 9 जनवरी, 2023 को जारी किए गए थे।

ग) प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

आज की गतिशील दुनिया में, किसी भी संगठन के लिए नियमित प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। तकनीकी विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और अपने हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है। उपयुक्त प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि मानव संसाधन चरम निष्पादन स्तर पर काम करें। यह कर्मचारियों को सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, नवोन्मेषी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. हमारे कर्मचारियों और संगठन के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक पेशेवर ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को अद्यतन रखना और बढ़ाना।

ii. पेशेवर अपेक्षाओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देना और पेशेवर, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाना।

iii. सही सोच पैदा करना।

घ) वर्ष 2022-2023 के दौरान प्रशिक्षण कार्यों की मुख्य विशेषताएं

i) तकनीकी और प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम- जुलाई से अगस्त, 2022

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपने नवनियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए तकनीकी

और प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। प्रेरण कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा और भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए आवश्यक प्रतिभा और तकनीकी कौशल विकसित करने में एक ठोस आधार प्रदान करना था।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कई विशेषज्ञों/ प्रख्यात संकाय सदस्यों ने तकनीकी सत्र में व्याख्यान दिए। प्रेरण प्रशिक्षण सूची में पांच मॉड्यूल शामिल थे और ये सत्र प्रतिष्ठित पेशेवरों द्वारा लिए गए थे। इनमें अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों, लेखापरीक्षा एवं आश्वासन फ्रेमवर्क और स्थिरता रिपोर्टिंग मानकों के विकास से संबंधित विषय शामिल हैं।

तस्वीर 15: सीधी भर्ती के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

ii) 29.08.2022 को "राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण - अतीत, वर्तमान और भविष्य" विषय पर प्रोफेसर आर. नारायणस्वामी द्वारा वार्ता।

प्रोफ़ेसर आर. नारायणस्वामी ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा अतीत में जारी किए गए एक्यूआरआर और एफआरक्यूआरआर की व्यापक प्रकृति के बारे में बताया जो गुणवत्ता, सटीकता, विवरण और व्याप्ति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कहीं ऊपर थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लेखांकन और लेखापरीक्षा पेशे को सिलो प्रभाव से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए और नियामक और हितधारकों के बीच प्रभावी संवाद होना चाहिए।

तस्वीर 16: 29.08.2022 को प्रोफेसर आर. नारायणस्वामी द्वारा व्याख्यान

iii) सीडीएम प्रशिक्षण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की कारपोरेट डेटा प्रबंधन अवसंरचना की पहचान, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के निगरानी और पर्यवेक्षण कार्यों के दायरे में आने वाली कंपनियों और लेखापरीक्षकों के प्राथमिक डेटाबेस की स्थापना से लेकर राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परिचालन कार्यों के लिए डेटा

और सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में की गई है। सीडीएम की कार्यप्रणाली और उपयोगिताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अधिकारियों और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सीडीएम अवसंरचना का कार्य देखने वाले प्रभाग के अधिकारियों के बीच 24.08.2022 को इंटरैक्टिव प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था।

तस्वीर 17: 24.08.2022 को आयोजित सीडीएम प्रशिक्षण

ङ. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

कार्य-निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों की उन्नति और विकास तथा प्रत्येक व्यक्ति की विविध जरूरतों की अनुभूति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

i) प्रशिक्षण और नियोजन कार्य: जिम्मेदारी/कार्य के विशेष क्षेत्रों के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं और उपयुक्तता का निर्धारण करने के उद्देश्य से अधिकारी की पेशेवर क्षमताओं का आकलन करना।

ii) फीडबैक और परामर्श कार्य: कार्य-निष्पादन, पेशेवर क्षमताओं और सहकर्मियों, कनिष्ठों आदि के साथ आचरण में सुधार के उद्देश्य से अधिकारी को परामर्श देना।

iii) कार्य फलन योजना बनाना: वर्ष के लिए कार्य योजना विकसित करने का एक साधन बनना।

iv) प्रोन्नति कार्य: उच्चतर जिम्मेदारियों और विशेष नियुक्ति के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से अपने साथियों के सापेक्ष निगरानी योग्य इनपुट के आधार पर प्रशिक्षण, अध्ययन पाठ्यक्रम और सरकार से बाहर प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्य-निष्पादन सहित वर्तमान नियुक्ति में अधिकारी के कार्य-निष्पादन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना। ।

v) सम्मान कार्य: उचित सम्मान देने के उद्देश्य से नवाचार सहित पूरे किए गए असल असाधारण कार्य की पहचान करना।

vi) गवर्नेंस कार्य का सुदृढ़ीकरण: गवर्नेंस मानकों में सुधार के उद्देश्य से अधिकारियों को संगठन में व्यवस्थागत खामियों की पहचान करने में सक्षम बनाना।

इस प्रकार, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के महत्व को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों का सावधानी से मूल्यांकन करने के लिए एपीएआर (वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) की व्यवस्था अपनाई।

च) लिंग संतुलन

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण लैंगिक समानता हासिल करने के लिए सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं में लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने और लिंग-संवेदनशील कार्य वातावरण बनाने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है:

i) कार्यक्रम और परियोजना क्रियाकलाप डिजाइन करते समय राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का लक्ष्य उचित प्रतिभागियों का चयन करना होता है और दीर्घकालिक रणनीतिक लिंग हितों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ लिंग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।

ii) भर्ती, स्थानांतरण, मुआवजे और पदोन्नति से संबंधित सभी रोजगार निर्णय लिंग भेदभाव के बगैर किए जाते हैं।

iii) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की लाभ नीति, काम और परिवार के बीच संतुलन की आवश्यकता के प्रति न्यायसंगत और उत्तरदायी है।

iv) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करता है जहां गैर-भेदभावपूर्ण कामकाजी रिश्तों तथा कार्य और प्रबंधन शैलियों में विविधता के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित किया जाता है।

v) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिला कार्यबल को सम्मानित करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए।

वर्ष 2023 में, सभी प्रबंधकों और सहायक प्रबंधकों ने आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम" से संबंधित प्रशिक्षण पूरा किया। इस प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया था।

छ) **स्वच्छता पखवाड़ा समारोह:** 'स्वच्छ भारत अभियान' एक विशाल जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से स्वच्छता के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे अर्थात् प्रति सप्ताह दो घंटे समर्पित करने की शपथ ली।

तस्वीर 18: एनएफआरए के कर्मचारी 16-08-2022 को स्वच्छता शपथ लेते हुए

ज) **राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में राजभाषा (हिंदी) को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्य:**

क) **'संसदीय राजभाषा समिति' की प्रथम उप समिति द्वारा एनएफआरए की निरीक्षण बैठक**

संसदीय राजभाषा समिति ने जुलाई, 2022 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के रिकार्डों का निरीक्षण किया। इस समिति ने हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश की। प्राधिकरण मिशन मोड में उपाय अपनाये और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने वर्ष 2023 में अगले निरीक्षण के दौरान समितिको अपनी उप्लब्धियों से अवगत कराया।

तस्वीर 19 'संसदीय राजभाषा समिति' की प्रथम उपसमिति की निरीक्षण बैठक

ख) हिंदी पखवाड़ा: राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में 14.09.2022 से 30.09.2022 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान कर्मचारियों के बीच सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चार (04) प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं/प्रतियोगी क्रियाकलापों का विवरण इस प्रकार है:-

- हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता - 22/09/2022
- हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता - 23/09/2022
- हिंदी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता - 26/09/2022
- हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता - 27/09/2022

अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की अध्यक्षता में 30/09/2022 को 1500 बजे समापन समारोह आयोजित किया गया।

तस्वीर 20: हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह

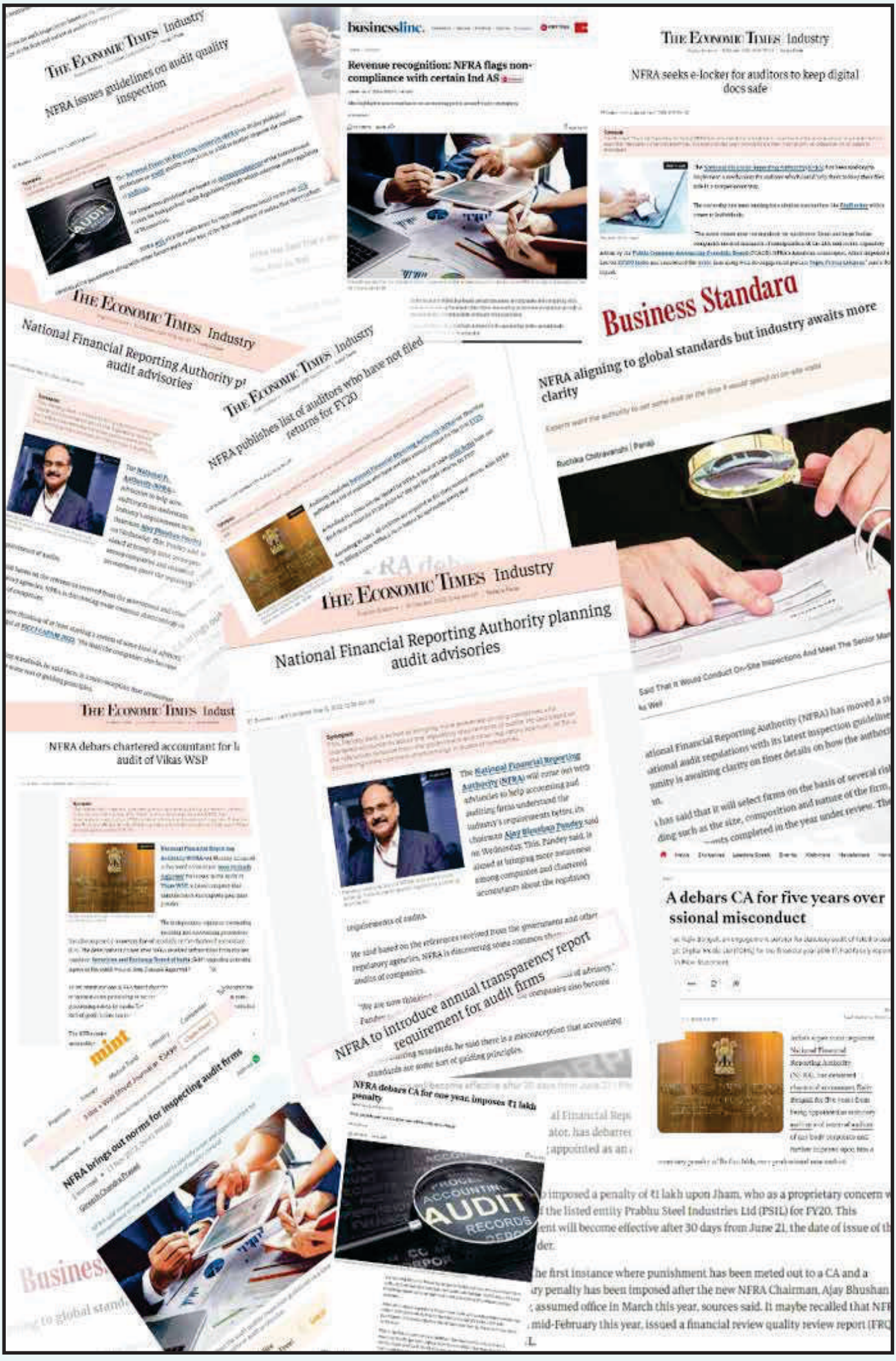

THE ECONOMIC TIMES | Industry
NFRA issues guidelines on audit quality inspection
businessline.
Revenue recognition: NFRA flags non-compliance with certain Ind AS
THE ECONOMIC TIMES | Industry
NFRA seeks e-locker for auditors to keep digital docs safe
Business Standard
NFRA aligning to global standards but industry awaits more clarity
Ruchika Chitravanshi | Panaji
THE ECONOMIC TIMES | Industry
National Financial Reporting Authority planning audit advisories
THE ECONOMIC TIMES | Industry
NFRA publishes list of auditors who have not filed returns for FY20
THE ECONOMIC TIMES | Industry
National Financial Reporting Authority planning audit advisories
The National Financial Reporting Authority (NFRA) will come out with advisories to help accounting and auditing firms understand the industry's requirements better, its chairman Ajay Bhushan Pandey said on Wednesday. This, Pandey said, is aimed at bringing more awareness among companies and chartered accountants about the regulatory requirements of audits.
THE ECONOMIC TIMES | Indust
NFRA debars chartered accountant for l
audit of Vikas WSP
NFRA to introduce annual transparency report requirement for audit firms
mint
NFRA brings out norms for inspecting audit firms
NFRA debars CA for one year, imposes ₹1 lakh penalty
A debars CA for five years over
ssional misconduct
imposed a penalty of ₹1 lakh upon Jham, who as a proprietary concern
the listed entity Prabhu Steel Industries Ltd (PSIL) for FY20. This
ent will become effective after 30 days from June 21, the date of issue of th
he first instance where punishment has been meted out to a CA and a
ary penalty has been imposed after the new NFRA Chairman, Ajay Bhushan
, assumed office in March this year, sources said. It maybe recalled that NF
mid-February this year, issued a financial review quality review report (FRQ
AUDIT

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
7वीं-8वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001